खण्ड–18, अंक–2
बुधवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1928
(14 मार्च, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2007)

(खण्ड 18 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य :

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	क
देहरादून में अतिवृष्टि से किसानों को हुई क्षति को नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	1–5
प्रश्न काल न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	5–6
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	6
उत्तरांचल विनियोग (2006–07 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	6
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	7
उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	7
उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	7
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	7
जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड जखोली पट्टी भरदार के ग्राम सौन्दा में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	8
जनपद पिथौरागढ़ में तहसील बेरीनाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डनोली के ग्राम दिगतौली में दिनांक 18–11–2006 को लगी आग से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना...	8
जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज में शिक्षक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	8–9

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा पौनाड़ा में विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	9
मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव ... ... (पारित)	9-2
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	21-37
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	37-71
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं	71

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अनिल नौटियाल
3. श्री अरविन्द पाण्डे
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. श्री करन मेहरा
7. श्री किशोर उपाध्याय
8. श्री केदार सिंह
9. श्री केदार सिंह फोनिया
10. श्री खजान दास
11. श्री खड़क सिंह बोहरा
12. श्री गगन सिंह
13. श्री गणेश जोशी
14. श्री गोपाल सिंह
15. श्री गोपाल सिंह रावत
16. श्री गोविन्द लाल
17. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19. श्री चन्दन राम दास
20. श्री जोगा राम टम्टा
21. श्री जोत सिंह गुनसोला
22. हाजी तस्लीम अहमद
23. श्री तिलक राज बेहड़
24. श्री दिनेश अग्रवाल
25. श्री दिवाकर भट्ट
26. श्री दिवान सिंह
27. श्री नारायण पाल
28. काजी मौ0 निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पन्त
31. श्री प्रणव सिंह
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलवीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बंशीधर भगत
39. श्री बृज मोहन कोटवाल
40. श्री भगत सिंह कोश्यारी
41. श्री मदन कौशिक
42. श्री मनोज तिवारी
43. श्री मयूख सिंह
44. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मह्रू भाई"
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री मुन्ना सिंह चौहान
47. श्री यशपाल आर्य
48. श्री यशपाल बेनाम
49. चौ0 यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
52. श्री राजकुमार
53. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57. श्रीमती बीना महराना
58. श्री शहजाद
59. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61. श्री सुरेन्द्र राकेश
62. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63. श्री सुरेश चन्द जैन
64. डा0 हरक सिंह रावत
65. श्री हरभजन सिंह चीमा
66. श्री हरिदास

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

देहरादून में अतिवृष्टि से किसानों को हुई क्षति को नियम–310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारी नियम 310 की सूचना है, वो सुनना है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। पूरा प्रदेश आज चिंतित है। हमारी जो सूचना है, हमारे विषय को पहले सुन लें जिससे इस प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा हो सके, इस प्रदेश की महिलाओं की रक्षा हो सके, इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके। जिस तरह से श्रीनगर में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा निवेदन है कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने हैं। (व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, कानून–व्यवस्था चरमरा गई है। यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 310 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूचना माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री करन मेहरा जी, श्री रणजीत सिंह जी तथा श्री केदार सिंह रावत जी की है जो 13.03.2007 की अतिवृष्टि से संबंधित है और दूसरी सूचना जो हमें प्राप्त हुई है श्री रणजीत सिंह रावत जी, श्री गोपाल सिंह रावत जी, श्री करन मेहरा जी, श्री किशोर उपाध्याय जी और नेता प्रतिपक्ष से संबंधित है इसे आपने नियम 58 के अन्तर्गत भी सूचना दे रखी है। इसे मैं नियम 310 में नहीं सुन रहा हूँ, पर इसे मैं नियम 58 में सुन लूंगा। दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री करन मेहरा, श्री मनोज तिवारी, श्री दिनेश अग्रवाल जी की एक सूचना पहले आ चुकी है, इसमें भी आपका नाम है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं 310 की बात कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं 310 की ही बात कर रहा हूँ (व्यवधान) थोड़ा सहयोग दीजिए। आज विश्वास मत भी होना है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ। (कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने के कारण घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

[XXX]

(कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

[XXX]

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसका कार्यवाही में उल्लेख नहीं होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

श्रीमन् आज पहला दिवस है पहला दिवस महत्वपूर्ण होता है।..............

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कानून व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होने दिया जायेगा।

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार को इस विषय पर...............

(कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे–"गुण्डा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुण्डों और अपराधियों की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, नवजवान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, अपराधियों की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी आदि।)

डा0 हरक सिंह रावत–

[XXX]

श्री अध्यक्ष–

इसका कार्यवाही में उल्लेख नहीं किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप अपना आसन ग्रहण करें, आज महत्वपूर्ण विषय है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

[XXX]

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका कार्यवाही में उल्लेख नहीं किया जाय।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

[XXX]

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी जिस सूचना को लेकर नेता प्रतिपक्ष आये हैं, श्रीमन्, वे नियम 310 के दायरे में नहीं आती है। श्रीमन्, चूंकि जिस विषय को इस सदन में रखा है वह उस दायरे में नहीं आता है। लेकिन इस संपूर्ण घटना के संबंध में सरकार की ओर से जो बयान आना है। मैं सरकार की ओर से उसको यहां पर प्रस्तुत कर सकता हूं, और सरकार पूरी तरह से गम्भीर रही है। जितनी शीघ्रता से इस विषय पर कार्यवाही हुई श्रीमन्, इससे पूर्व कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जनता की छाती पर मूंग दल रही है। शेम शेम...

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें। महामहिम राज्यपाल के भी अभिभाषण पर अभी चर्चा होनी है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। संसदीय कार्यमंत्री जी।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की परम्परा रही है। यह परम्परा है कि पीठ का आदर किया जाय और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जब यह व्यवस्था दे दी गयी है कि नियम 58 पर आप इनको सुन रहे हैं तो माननीय सदस्यों द्वारा अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों किया जा रहा है?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है इसलिए कृपया आप लोग इसमें भाग लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पहले हमारी बात सुनें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हम इनकी बात नियम–58 में सुन ले रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसको नियम–310 में सुनें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाह रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सत्तापक्ष मदहोश होकर सदन को नहीं चलने देना चाहता है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 11.45 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से............

प्रश्न काल न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली 2005 के नियम–33 में उल्लेख है कि प्रश्नों के लिए समय, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक उपवेशन का पहला एक घण्टा बीस मिनट का समय प्रश्नों के पूछने और उनका उत्तर देने के लिये उपलब्ध रहेगा। मान्यवर, प्रश्नकाल का निवेदन है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी की पीठ से व्यवस्था हुई है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल के बारे में आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

आज मात्र एक अल्पसूचित प्रश्न प्राप्त हुआ था, जो स्थगित हो गया है। प्रश्न नहीं हैं इसलिए प्रश्नकाल नहीं हुआ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, स्पष्ट निदेश आने की व्यवस्था है नियमावली में।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न नहीं आये हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958) (प्रथम संशोधन), अध्यादेश, 2006

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958) (प्रथम संशोधन), अध्यादेश, 2006 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल विनियोग (2006–2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (2006–2007 का अनुपूरक) का विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, श्रीनगर का ......।

श्री अध्यक्ष–

उसे नियम–58 में सुन लिया जायेगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हू कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी, माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल, माननीय श्री गगन सिंह, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी की कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इन चारों सूचनाओं को स्वीकार करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड जखोली पट्टी भरदार के ग्राम सौन्दा में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, "माननीय सदन का सुविचारित मत है कि ग्राम सभा सौन्दा, पट्टी भरदार, विकास खण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाय।" मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम सभा सौन्दा, पट्टी भरदार में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है। वर्ष 2002–03 में उक्त ग्राम सभा में पेयजल योजना बनाने के लिये जिला योजना से धन आवंटित किया गया था। स्रोत पर विवाद हुआ किन्तु ग्राम सभा रिगोली, पट्टी लस्तु, विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल की जनता ने अपने स्रोत से पानी देय करने की सहमति दे दी थी, फिर भी जल निगम रुद्रप्रयाग उक्त योजना का निर्माण करवाने में लापरवाही कर रहा है। मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्राम सभा सौन्दा, पट्टी भरदार, रुद्रप्रयाग में पेयजल योजना का निर्माण करवाने की कार्यवाही करवायी जाय।

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील बेरीनाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डनोली के ग्राम दिगतौली में दि0 18–11–06 को लगी आग से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद पिथौरागढ़ में तहसील बेरीनाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डनोली के ग्राम दिगतोली में दिनांक 18–11–2006 को आग लगने से शेर राम पुत्र गंगा राम, फकीर पुत्र गंगा, चनराम पुत्र गंगा राम तथा हरीश राम पुत्र फकीर राम के मकान जल कर राख हो गये हैं। तब से प्रभावित परिवार टैन्टों में रह रहे हैं, जिन्हें अभी तक सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है जिस कारण इन लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूल एंव इंटर कालेज में शिक्षक न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गगन सिंह रजवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र धारचूला जो कि एक सीमान्त क्षेत्र है, में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं। कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षक न होने के कारण बन्द पड़े हैं। इसी तरह कई जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों में भी शिक्षक न होने के कारण पठन–पाठन का कार्यक्रम ठप्प है। उक्त स्थिति को लेकर

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र की जनता में व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा पौनाड़ा में विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा पौनाड़ा में विद्युत लाईन बिछवाने/निर्मित हुए लगभग एक वर्ष हो चुका है। गांववासियों ने 40 से भी अधिक विद्युत कनेक्शन ले लिये हैं। एक वर्ष से ट्रांसफार्मर की खराबी से ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार ट्रांसफार्मर को बदलने का अधिकारियों से आग्रह भी किया गया है, किन्तु अभी तक विद्युत का संचालन नहीं किया गया, जिससे स्थानीय जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रवासियों को विगत एक वर्ष से विद्युत की आपूर्ति न देकर उदासीनता बरती जा रही है और क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत लेकर सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

मंत्रि–परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन मंत्रि–परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।"

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे निर्देशित किया है कि मैं 20 मार्च, 2007 से पहले इस सदन में अपना बहुमत सिद्ध करूं। मा0 अध्यक्ष जी, 21 फरवरी को मतदान हुआ था। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 34 माननीय सदस्य चुनकर आये। कुल 69 सीटों पर चुनाव हुआ था, एक सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है, इसलिए मेरी पार्टी बहुमत से एक कम थी। मान्यवर, हमने जब महामहिम राज्यपाल जी को अपना दावा पेश किया तो इसी सदन के एक निर्दलीय सदस्य का भी लिखित समर्थन पत्र हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया था। मान्यवर, उसके बाद उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से चर्चा हुई और उन्होंने भी माननीय महामहिम को अपना समर्थन तीन सदस्यों का दिया। मान्यवर, इसके बाद दो निर्दलीय विधायकों ने भी लिखित रूप से महामहिम को अपना समर्थन देने का विश्वास दिया है।

इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, आज हमको 39 विधायकों का समर्थन हासिल है, 69 सदस्यों के सदन में। इसलिए हम लोग बहुमत में हैं और आपसे इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन को निर्देशित किया जाय कि विश्वास मत को इस सदन में पारित किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि समय का ध्यान रखते हुए यदि कोई माननीय सदस्य 5–5 मिनट अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की महान जनता का और प्रदेश की महान जनता के द्वारा निर्वाचित सम्मानित सदस्यों का ह्रदय से आभार और अभिनन्दन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की महान जनता ने एक जनादेश दिया है। जनता की अदालत में हम सभी राजनीतिक दल गये थे और हमने अपनी–अपनी बात जनता के सामने रखी थी। दुष्यंत की इन पंक्तियों से मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूं कि "हो गयी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।" हम सबका मकसद जितने यहां सदन में बैठे हैं, हम सबका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, इस उत्तराखण्ड की सूरत बदलनी चाहिए और इस सूरत को बदलने का जिम्मा इस प्रदेश की महान जनता ने इस सदन को दिया है। बड़ी आशाएं हैं। इस अवसर पर मैं उन महान क्रान्तिकारियों को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति समय–समय पर दी है और उन उत्तराखण्ड के वीरों को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए जब कभी मौका आया है, बहुत सारे हमारे साथी आज सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं, जिनका उल्लेख अभी माननीय नेता सदन ने किया है। जब कभी अवसर आया, चाहे हंसा धनाई हों, राजेश रावत हों, अब कितने नामों का उल्लेख करूं, उन्होंने पीठ पर गोली नहीं खाई, एक वीर सेनानी की तरह, पराक्रमी की तरह सीने पर गोली खाकर इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इन नम आंखों से मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत हमें आज यह सदन और यहां बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

मैं आज उत्तराखण्ड की उन महिलाओं को भी इस अवसर पर भूलना नहीं चाहता हूं, मुझे याद है, मैं पौड़ी से विधायक हुआ करता था। 7/8 तारीख की रात को च्यूंचा गांव, पौड़ी गांव, कांडई गांव, पौड़ी की महिलाएं दरांती लेकर जब सड़कों पर आयी थीं और "आज दो अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो," "बद्री–केदार ने पुकारा है, हरिद्वार ने पुकारा है, मंगलौर ने पुकारा है, उत्तराखण्ड हमारा है," "कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखण्ड बनाएंगे।"

............................"लाठी गोली खायेंगे, उत्तराखण्ड बनायेंगे" जैसे भावनात्मक नारों के साथ उत्तराखण्ड की आजादी के लिए, राज्य निर्माण की अगुवाई की थी। उन तमाम वीर, वीरांगनाओं को, तीलू रौतेली की भूमि की महान वीरांगनाओं को मैं इस सदन के माध्यम से नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उनके सम्मान के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मान्यवर, पूरे विश्वास के साथ इस प्रदेश की जनता ने चुनाव के बाद हमको जो जनादेश दिया है, मैंने स्वयं भी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस जनादेश का सम्मान किया है और लोकतंत्र का भी सम्मान किया है। श्रीमन्, जनादेश का सम्मान होना चाहिए, जनता लोकतंत्र की सर्वोच्च अदालत है और जो निर्णय इस महान प्रदेश की जनता ने दिया है उसको चुनौती देने का अधिकार हम जैसे जनता के तुच्छ

सेवकों को नहीं है। हमने जनादेश को स्वीकार किया और प्रतिपक्ष की भूमिका को स्वीकार किया है। लेकिन मान्यवर, वित्तीय अनुशासन की बात करने वाली यह सरकार जब शुरु से ही वित्तीय अनुशासन को तोड़ने के लिए तैयार होगी, यह माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी स्वयं देखा होगा और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि शपथ ग्रहण समारोह पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये। मान्यवर, यह एक नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, इस राज्य में एक–एक रुपये की कीमत है, एक–एक रुपया यहां पर बचाया जाना चाहिए। लेकिन मान्यवर, शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये, मात्र मुख्यमंत्री जी और एक माननीय मंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह पर इतनी अधिक धनराशि खर्च कर दी गई। इस प्रकार से वित्तीय अनुशासन को तोड़ने का काम इस सरकार ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया है।

मान्यवर, मैं भी शपथ समारोह में उपस्थित था, दूसरी पंक्ति जो विधायकों के लिए बनाई गई थी, मैं वहां नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के साथ बैठा था। यही नहीं आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि यदि 10 मिनट का ही ड्रामा करना था तो हमको इतनी दूर से क्यों बुलाया गया। शायद नेता यूकेडी भी मेरी बात से सहमत होंगे, मान्यवर, वित्तीय अनुशासन की बात करने वाली सरकार पहले ही दिन से इसको तोड़ने का दुष्प्रयास कर रही है। यह इस प्रदेश के लिए निश्चित ही अच्छे संकेत नहीं हैं और न ही लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं। मान्यवर, मैं इसकी घोर निन्दा करना चाहता हूं कि जो यह शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, यह किसी राजनीतिक दल या धर्म विशेष के समारोह नहीं होते हैं, बल्कि यह प्रदेश की सरकार का शपथ ग्रहण का समारोह होता है और यह समारोह भी उत्तराखण्ड राज्य की सरकार का ही शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन मान्यवर, वहां पर 3 मंच बने हुये थे, पहले मंच में प्रदेश और देश के सर्वोच्च नेता बैठे थे, हम उनका भी सम्मान करते हैं, जिनकी अगुवाई में लोकतंत्र मजबूत होता रहा है। दूसरे मंच में महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी बैठे थे और तीसरे मंच पर एक धर्म विशेष के धर्माचार्य विराजमान थे और धर्माचार्यों को मंच पर बिठाकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि यह एक धर्म विशेष की सरकार है, जिससे हमारे अल्पसंख्यक भाईयों के मन में असुरक्षित भावना पैदा हो गई है। (विपक्ष द्वारा शेम–शेम के नारे लगाये गये) एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

मान्यवर, गोली चलाना आवश्यक नहीं होता है, लाठी चलाना आवश्यक नहीं है। सरकार ने एक संदेश दिया, सरकार ने अल्पसंख्यकों को एक संदेश दिया कि खबरदार यह सरकार इस धर्म की है। खुदा भी कोई चीज है, गॉड भी कोई चीज है। (व्यवधान) अगर खुदा भी एक है, भगवान भी एक है तो फिर एक धर्म विशेष के आचार्यों के लिए क्यों मंच लगा। अगर इस मंच पर सर्वधर्म के लोग भी होते तो भी हमारी आपत्ति होती क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम था, यह प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, धर्माचार्यों का सम्मेलन नहीं था। मेरी इस पर घोर आपत्ति है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निन्दा करती है। इस तरह की परम्पराएं डाली जाएंगी तो कल दूसरी पार्टी की सरकार आने पर वह दूसरे धर्माचार्यों को मंच पर बिठायेगी। यही नहीं एक गलत परम्परा इस सरकार ने डाली है जब अधिकारियों की बैठक ली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री सरकारी हैं लेकिन गैर सरकारी सदस्य अगर अधिकारियों की बैठक में उपस्थित हों और वे अधिकारियों को निर्देशित करने लगें

तो यह उत्तराखण्ड प्रदेश की सरकार है, हमारे सत्ता पक्ष के लोग इतने मदहोश हैं कि वे सरकार को अपनी जेब में समझने लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने का नारा लगाकर जो सरकार विराजमान हुई है। गैर सरकारी सदस्यों के माध्यम से सरकार का संचालन कर रही है। यह आपत्तिजनक है, निन्दनीय है और इसकी घोर निन्दा मैं और मेरी पार्टी कर रही है। इसलिए मान्यवर (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमने नेता सदन के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि नेता विरोधी दल को आप समय सीमा में बांधेंगे। (व्यवधान) हम वहां थे तब भी बोलते थे। माननीय अध्यक्ष जी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। समय के बारे में निर्देश पीठ से आना चाहिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब चुनाव के मैदान में हम थे, जनता की अदालत में थे, बड़े अच्छे भाषण होते थे, लच्छेदार भाषण होते थे, हिन्दी साहित्य का कोष कम पड़ जाता था, जब सत्ता पक्ष के लोगों के भाषण होते थे कि हर नौजवान के हाथ को काम (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सत्ता किसकी थी? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो सत्ता में बैठी है। (व्यवधान) मान्यवर, जो सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करने जा रही है उसकी बात हो रही है। बड़े लच्छेदार भाषण होते थे कि हमारी सरकार आयेगी और उत्तराखण्ड के नौजवानों को रोजगार देगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राज्यपाल के भी अभिभाषण पर यह विषय आना है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब–जब भाषण होगा अलग–अलग विषय पर आयेगा, ओवर लैपिंग नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार आयी और इस सरकार ने सबसे पहला काम उत्तराखण्ड के नौवजवानों की रोजी–रोटी को छीनने का किया है। सबसे पहला जो आदेश किया वह नियुक्तियों की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगा दी। आज उत्तराखण्ड का नौवजवान अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है, उसके मन में आक्रोश है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब भी इन्होंने नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया। जैसे ही उत्तराखण्ड में माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार बनी हमने नियुक्तियों में से प्रतिबन्ध हटाया। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ इस बात को लेकर, हमारे यहां गढ़वाली में एक कहावत है कि–"ज्योंका डर का मारा धाघर नि छोड़ण" मान्यवर, हम ईमानदारी के पक्ष में हैं, नियुक्तियों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पारदर्शिता होनी चाहिए लेकिन पारदर्शिता, ईमानदारी के मुद्दे पर सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को रोकना, इसका सीधा अर्थ है आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। बजाय इसके कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहती उसके बाद कोई अनियमितता सरकार को महसूस हो रही होती तो उस कमी को दूर किया जाता। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया रोकना उत्तराखण्ड के नौवजवानों के साथ अन्याय है, कांग्रेस सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर बाहर चले गये।)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सभी सम्मानित माननीय नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुजन समाज पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इस सरकार के गठन की शुरुआत से जो घटना घट रही है फिजूल खर्ची की, वह बड़ी दुख की बात है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, जो श्रीनगर में एक व्यक्ति द्वारा आपराधिक घटना घटित हुई है उससे पूरा समाज आपराधिक नहीं हो सकता है और यह जो लूट–पाट हुई है जिससे इस सदन में और पूरे प्रदेश में एक आपराधिक माहौल बना है माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से यह घटना हुई है हम इसकी निन्दा करते हैं इस जबरदस्ती लूट–मार के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए हम सरकार में अविश्वास प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय श्री दिवाकर भट्ट जी।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सरकार को अपना समर्थन दिया है। पहला कारण मैं समझता हूं कि तमाम सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि यह बहुत गरीब राज्य है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और दूर–दराज तक इसका भौगोलिक जो ढांचा है। उन तमाम बातों को अगर हम देखते हैं और उस आन्दोलन के पीछे जो आन्दोलनकारियों की भावना थी, उसको अगर हम थोड़ा भी महसूस कर रहे हैं। हम तमाम लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम इस राज्य को आन्दोलनकारियों की भावना का राज्य बनाने के बजाय उन तत्वों के हाथों की कठपुतली बना दें जो अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे राज्य को विभिन्न क्षेत्र में अलग–अलग बांटें, सम्प्रदायों में बांटें और भावनाओं में बांटें। इस राज्य को बनाने का यह कतई मकसद नहीं था और जो ये चर्चा आयी हैं, इन चर्चाओं को मैं समझता हूं कि इस चर्चा को यहां पर जिस ढंग से कहा जा रहा है, उसका भी इस राज्य के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। राज्य आन्दोलनकारियों की भावना क्या थी, वे क्या चाहते थे, उनका सपना क्या था, शायद हमारे उन तमाम साथियों ने समझने की कोशिश नहीं की, और मेरी प्रार्थना है हमारे तमाम साथी उसे समझें। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी इस क्षेत्र की जो अवहेलना हो रही थी। इस क्षेत्र के अन्दर विकास कार्यों का जो ढांचा तैयार किया जा रहा था, उसके विपरीत था।

मान्यवर, विकास का जो ढांचा तैयार किया जा रहा था। वह क्षेत्र के विपरीत था। तमाम व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो चुकी थीं। तब आंदोलनकारियों ने इस व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए इस बात को समझा कि अगर यह अलग राज्य बन जाए तो इसका उपाय शायद निकाला जा सकता है। उस बड़े राज्य में इस क्षेत्र का भविष्य असुरक्षित होता जा रहा था और तमाम लोग यहां से पलायन करके मैदान, मैदान का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों में जा रहे थे और यह पूरा क्षेत्र नौजवानों से खाली होता जा रहा था। यह बड़ी समस्या, हमारे सामने आ गयी थी और चिन्ता का विषय बन गया था कि अगर ये पलायन जारी रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब इस पूरे राज्य के अन्दर मानव शक्ति क्षीण हो जायेगी और हमारी तमाम धरोहरें हमारे हाथों से निकल जायेंगी, जो हमें विरासत में मिली थीं। वह समाज, वह संस्कृति, तमाम इतिहास जो हमारा था मिट जाएगा। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह बात बहुत साफ कहना चाह रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि संसदीय ढांचे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है वहीं विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है और दोनों का यह भी दायित्व है कि वह पूरी निष्ठा से जनता का जो सपना है, जनता की जो कठिनाईयां हैं उनको मिल बैठकर दूर करें। मैं इस संदर्भ में ज्यादा कुछ न कहते हुए जैसे पहले कहा कि हम इस राज्य को एक स्थिर सरकार देने के लिए जो जनता का संदेश हमको मिला, जनता का आदेश मिला, जनता की अदालत से जो छनकर आया, वह यह था कि हम इस राज्य के अन्दर स्थिरता बनाए रखने के लिए, हमने सरकार को समर्थन दिया और मैं अपनी बात को बहुत साफ कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आ करके ऐसा लग रहा है कि जितने आंदोलकारी बैठे हुए हैं वे शायद आंदोलन नहीं जानते, कभी करा नहीं लेकिन दरियादिल स्थिति हम लोगों की है। इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए लड़ते-लड़ते कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। इसको लम्बा न करके दो लाईन की पंक्ति आपके सामने कहना चाह रहा हूं "कभी दर पर, कभी फर्श पर, कभी दर, कभी दर-बदर, ऐ उत्तराखण्ड हम तेरे लिए कहां-कहां से गुजर गए और हम पर क्या न गुजर गयी।" मैं इस बात को कहते हुए तमाम साथियों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि हमने बहुत बड़ी कीमत देकर इस राज्य को हासिल किया है वो कीमत, जो हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य ने हासिल करने के लिए नहीं दी जो कीमत इस राज्य के निवासियों ने दी है। यह मजाक नहीं है और उन आत्माओं को जिन्होंने इस राज्य को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया, उनका मजाक नहीं होना चाहिए। उनके सपने साकार नहीं हुए केवल मात्र उनकी मजारों पर चादर भेंट करके, स्थलों पर जाकर उनके लिए मौन धारण करके, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम उनके सपनों का राज्य नहीं बनायेंगे। मेरा अनुरोध है कि तमाम बातों को मिल करके इस राज्य को दे जाएं, मैं शुक्रगुजार हूं, पहाड़ में एक घटना घटी।

मान्यवर, मुझे याद आता है कि दो बड़े जिगरी दोस्त थे और एक दिन दोनों जंगल की ओर जा रहे थे एक दोस्त ने पूछा कि भाई अगर इस समय बाघ आ गया तो तुम क्या करोगे? उस दोस्त ने तपाक से कहा कि अगर बाघ आ गया तो मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। उसने फिर पूछा, अगर बाघ पेड़ पर चढ़ गया तो आप क्या करोगे? उसने उत्तर दिया कि मैं नीचे कूद जाऊंगा।

मान्यवर, उसने पूछा बाघ जब नीचे कूद गया तो क्या करोगे? दोनों जिगरी दोस्त थे, उस दोस्त को शक हो गया, जो जवाब दे रहा था। कहीं गड़बड़ी है, कहीं कुछ कमी है, उसने उस दोस्त से कहा भाई आगे का जवाब तब दूंगा, पहले तो बताओ कि तुम मेरे साथ हो या बाघ के साथ हो? तो यहां पर मुझे लगता है कि हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम इस उत्तराखण्ड को सजाने और संवारने के लिए भविष्य बनाने आये हैं। यहां हम एक–दूसरे को टटोलने नहीं आये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पूरा समर्थन है। मैं यह दोहराना नहीं चाहता हूं, हम लोग चरित्र को प्राथमिकता देते हैं, हम यह तो नहीं कह सकते या बहुत बड़े बोल, यहां पर कहूं तो अच्छा नहीं लगता कि उक्रांद जो कहेगा वह करके दिखाता है, चाहे कोई दिक्कत आए, कोई कठिनाई हमारे सामने आए, यहां तक कि हम अपने सम्मान को भी जाते हुए देखें तो सहन करते हुए सरकार का समर्थन करता हूं। यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

अभी कुछ अनुरोध मेरे सामने आए हैं। माननीय श्री ओम गोपाल, माननीय काजी निजामुद्दीन, माननीय श्री हरिदास जी, माननीय श्री नारायण पाल का बोलने के लिए अनुरोध आया है, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, यदि आप इतने तक सीमित रखें तो ठीक है और दलीय नेताओं के माध्यम से आपकी भावना आ गई है।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, 2–2 मिनट की चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, उसमें असीमित समय दे दूंगा।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक शेर सुन लें।

सियासत की एक अलग जुबां है

कहना था इनकार मगर इकरार कहना पड़ा।

मान्यवर, इनकार मतलब "नहीं" और इकरार मतलब "हां" यह भगत दा जी आपके लिए है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, असीमित समय दे दूंगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जो इस पर बोलना चाहते हैं। उनको समय नहीं दे रहे हैं।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, पूरा समय मिलेगा।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं माननीय सदन के नेता प्रतिपक्ष, नेता बी0एस0पी0 और यू0के0डी0 का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार इस प्रस्ताव के बारे में रखे। मैं उन लोगों का भी आभारी हूं जिनको समय नहीं दिया गया है, लेकिन आपकी जो भी भावना होगी, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा आप आगे बात रखेंगे, सरकार की ओर से पूरा विचार किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, डा0 हरक सिंह रावत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत उत्साह के साथ और बहुत जोर–शोर से अपनी बातें रखीं। मुझे दुःख है वे यहां पर नहीं हैं, मैं उनको लम्बे समय से जानता हूं, एक समय में वे हमारे साथ भी थे। बहुत ओजस्वी वक्ता हैं और जब कभी हमें किसी बात को बढ़ा–चढ़ा कर कहना होता था तो हम उनको आगे करते थे। यहां पर भी उन्होंने उसी प्रकार किया है। मुझे मालूम है कि पद के अनुसार बात कहनी थी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग ठोस सुझाव देंगे, आप सब की बात का सम्मान करते हुये उत्तराखण्ड के लिए जो भी हित की बात होगी मैं आश्वासन देता हूं और किसी प्रकार का मतभेद करने वाला नहीं हूं, उत्तराखण्ड का भला होना चाहिए, जनता की भलाई होनी चाहिए, मुझे बतायें, जो गलती होगी, आप बतायें, मैं कर दूंगा।

मान्यवर, जो राजनीतिक दांव–पेंच होते हैं, वह करने होते है उसका भी ज्यादा एतराज नहीं है।

मान्यवर, उन्होंने तीन मुख्य बिन्दु उठाये हैं। पहले कहा कि शपथ समारोह में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। आप तो शायद मेरे विचारों को जानते होंगे कि मैं हर चीज में बहुत कम खर्च करता हूं। यदि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ है। यदि आप हमें ठोस सुझाव देंगे, किस प्रकार काम होंगे तो अच्छा है, लेकिन बार–बार यह कहना कि करोड़ों खर्चा हो गया, यह आप किस को सुना रहे हैं। शायद पीछे गैलरी में जो पत्रकार बैठे हैं, शायद वे सुन रहे हों, लेकिन उनको भी क्या मालूम है। जो खर्चा हुआ है मेरे साथियों, वह रु0 11.91 लाख रुपया खर्च हुआ है। आज सुबह क्योंकि यह बात उठायी गयी थी तो मैंने पता किया। मान्यवर, शायद पूरा आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है। आप 11 लाख लगा दीजिए, 12 लगा दीजिए। यह खर्चा सुरक्षा व्यवस्था पर भी किया गया है। जेड प्लस सुरक्षा पर भी खर्चा होता है, बाकी दूसरी चीजों पर भी खर्चा होता है, कुर्सी हैं, मेजें हैं, मंच है तो इसमें 6 लाख का खर्चा हमें बताया गया और ये बाकी जो अन्य चीजों पर 5 लाख रु0 खर्च हुआ है। मैंने भी पूछा यदि हमने बहुत ज्यादा खर्चा किया है तो उसे ठीक करना चाहिए, तो मैंने पूछा पिछली सरकार 2002 में कितना पैसा खर्चा हुआ था। मान्यवर, उस समय वर्षा की वजह से अंदर ओ0एन0जी0सी0 कमरे में ही करना पड़ा था, उस पर भी करीब 4 लाख रु0 खर्चा हुआ था। बाकी व्यवस्था शायद उन्होंने उसमें पैसा नहीं लिया। तो इसमें हमने करोड़ों रुपये खर्च कर दिया है यह उचित बात नहीं है। मान्यवर, फिर भी यदि हमने ज्यादा खर्च कर दिया तो हम ऐसा न करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक असुरक्षा का संदेश गया है। मान्यवर, जो भी संदेश गया है आज मैं सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म, पंथ को इस सरकार से किसी भी प्रकार का अन्याय, गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखण्ड के जो लोग सही कार्य करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे और जो गलत कार्य करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, यह मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं। राजनीतिक दल सिर्फ असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहेंगे तो वह ठीक नहीं है। हमें साधु समाज कहा था वह सही है, या गलत है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब कांग्रेस वाले लोग यह कहते हैं। इन्होंने किस तरह से धर्म का, पन्थ का, मजहब का, आजादी से लेकर आज तक माखौल उड़ाया है। अच्छा होता वे सुनते मेरी बात। मान्यवर, कहां तक इनके पुराने इतिहास को लेकर चलें। मिजोरम में शायद 20 साल पहले इन्होंने अपने एक घोषणा–पत्र में लिखा था, घोषणा–पत्र में लिखा हुआ था, वहां ईसाई ज्यादा हैं, इस घोषणा–पत्र में लिखा था कि यदि हमें सत्ता में लायेंगे तो ईसाई मिशनरी के अनुसार शिक्षा दिलायेंगे। रामजन्म भूमि के सामने स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? हम पर आरोप लगाया ठीक है, लेकिन अपने गिरेबां में झांककर तो देखें। मान्यवर, तीसरी बात कही है भर्ती रोक रहे हैं। मान्यवर, भर्तियां पिछले पांच साल में हुई, किस प्रकार से हुई? हमने इस गंदगी को साफ करने का कार्य किया है तो ऊपर से कहते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने भर्तियां इसलिए नहीं रोकी कि उनको बन्द किया जायेगा। पूरे उत्तराखण्ड को मालूम है, किस प्रकार से बड़ी–बड़ी भर्तियों में घोटाला हुआ है। मान्यवर, यह हमारा प्रदेश है, जिसमें प्रदेश के पुलिस मुख्यालय पर सी0बी0आई0 का छापा लगा है, यह हमारा प्रदेश है जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंसपेक्टर पुलिस को संस्पेंड कर दिया गया। मान्यवर, मैंने इसलिए रोक लगायी है। भर्ती के लिए भी कहते हैं कि हम इसे ठीक कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। हमने इसलिए रोक लगायी है चूंकि आचार संहिता के समय में भी भर्तियों की चिट्ठी, बैक डेट में अप्वाईटमेण्ट दिये गये, क्योंकि पैसे लिये गये थे ऐसा आरोप है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कटौती इसमें नहीं होगी। बेरोजगारी को कम करना हमार मुद्दा है और इस प्रकार मैं समझता हूं कि यह अपराध हैं। भर्तियों में कहां घोटाला हुआ है, किस प्रकार से बड़ी–बड़ी भर्तियां हुई हैं, इस समय प्रदेश के मुख्यालयों पर सी0बी0आई का छापा हुआ है। डी0जी0पी0 को बर्खास्त कर दिया गया। मान्यवर, मैंने इसलिए रोक लगायी है। मान्यवर, चुनाव आचार संहिता के समय में भी नियुक्तियां हुई हैं। मान्यवर, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि नौकरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, बेरोजगारी कम करेंगे। मेरे मन में है ये आरोप अनुचित हैं, भविष्य हमको बतायेगा।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि नियुक्तियां हों, इस प्रकार पारदर्शी हों, उचित आदमी उसमें मिलें। उसमें यदि कोई कमी है तो प्रतिपक्ष से भी निवेदन करता हूं कि आप हमें सुझाव दीजिए कि कैसे भर्तियों को इस प्रकार करना है कि जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ न हो। भर्तियां इस उद्देश्य से रोकी गयी है कि जिन्होंने गलत काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भर्तियां जल्दी शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आज की प्रक्रिया जो है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश उसमें है। उसको खत्म करने के लिए हमने कोशिश शुरू की है। बी0एस0पी0 के नेता जी ने कहा कि श्रीनगर का माहौल मुस्लिम खिलाफ बनाया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसा कोई

उद्देश्य नहीं हैं ये एक चांस की बात है कि जो गुनहगार है, इस समय वह एक मुस्लिम है। हम यह कभी नहीं कहते कि मुस्लिम गुनहगार है। वहां पर जिन लोगों ने किया वह मुसलमान हैं। कुछ हिन्दू भी हैं। उसमें अभी इन्क्वायरी जारी है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी प्रकार की उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। किसी का भी आदमी हो, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब का हो, उसमें हमें कुछ लेना-देना नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह हमारे लिए शर्म की बात है कि देवभूमि में अगर सी0डी0 बनने लगेंगी। इस प्रकार तो यह बहुत चिंता की बात है। मैं आज सरकार की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी, सरकार की कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की जो गन्दी चीजें हमारे समाज में हैं, उनसे सख्ती के साथ निपटा जाय। उसमें जिस प्रकार की भी सख्ती की आवश्यकता होगी, वह सख्ती की जाएगी। (मेजों की थपथपाहट)।

आपने एक और बिन्दु उठाया था शहजाद साहब, होटल काण्ड में मारपीट हो गई। अगर उसमें कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमने उसमें पुलिस को छूट दे दी कि वे उसमें इन्क्वायरी करें। जो वातावरण वहां पर बना, वह अलग है। हम लोगों को कहा गया कि हम विधायकों को खरीद रहे हैं। सभी विधायक यहीं पर ही बैठे हैं। आपके सामने हैं, जनता के सामने हैं। कैसे वो आए हैं, किस तरह आए हैं, क्यों आए हैं, जनता सबसे पूछ सकती है। हम उनको बन्द करके दूर कहीं छुपाने नहीं ले गए। यहीं देहरादून में ही थे। इसलिए इस प्रकार जो मारपीट का काण्ड हुआ, गलत है। यह अच्छा नहीं हुआ। लेकिन क्यों हुआ, वह अपने आप में एक अलग कहानी है। शायद आप भी उसमें पता लगा लेंगे। जो भी था, उसके विषय में यहां नहीं जाना चाहता हूं। कुछ मारपीट हुई है। दोनों साईड में हुई है। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, पुलिस वाले अपनी इन्क्वायरी कर रहे हैं।

माननीय दिवाकर भट्ट जी ने कहा कि शायद कुछ लोगों ने आन्दोलनकारियों की भावना नहीं समझी। दिवाकर जी आपने और हमने लड़ाई एक साथ लड़ी। यू0के0डी0 और बी0जे0पी0 ने। मेरा यह सौभाग्य था कि उत्तराखण्ड की लड़ाई में मैं भी शामिल था। 1991 में फौज से रिटायर हुआ था, मेजर जनरल से रिटायर हुआ था लेकिन मैं भी जेल में गया हूं। आन्दोलनकारियों की उस सूची में मेरा भी नाम है, जो जेलर ने यहां से बना कर भेजी थी, देहरादून से। इसलिए उनकी जो पीड़ा है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उत्तराखण्ड के क्रान्तिकारियों के, उत्तराखण्ड के लिए बलिदान देने वालों के, वे 4-5 साल किन परिस्थितियों में गुजरे, क्योंकि 90 के पूरे दशक में उसमें मैं शामिल था। 91 से 2000 तक। तो व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा और बहुत पहले से संघर्ष शुरू कर दिया था लेकिन हमारी जो उत्तराखण्ड के प्रति भावना है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है और इसलिए जब आपने हमें अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं और हमारी पार्टी आपकी आभारी है। आपने हमसे कुछ बातें भी की हैं, ये चीज नीतिगत होनी चाहिए। आप जानते हैं कि उसमें से अधिकतर हमारी और आपकी बातें एक जैसी हैं। हमारे घोषणा-पत्र में ये बातें हैं। इसलिए यह जरूर सही होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो उनकी पीड़ा को नहीं जानते। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस श्रेणी में शामिल नहीं है। जहां पर हम उनकी पीड़ा को भी जानते हैं और आज से नहीं,चुनाव के समय से कहते आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता आया

हूं कि उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों, जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने यातनाएं सही हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार बनी है। (मेजों की थपथपाहट) उनके सपनों को साकार करने के लिए हम किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे।

यहां आज मैं पहले दिन आपको आश्वासन देता हूं और 5 साल के अन्दर हमारा जो चरित्र होगा, हमारा आचरण होगा, हमारे काम होंगे, उसमें आपको यह नजर आएगा। आपने कहा कि हम आपके साथ हैं या बाघ के साथ हैं। तो हम आपके साथ हैं और आप भी बाघ से कम नहीं हैं। इसलिए हम साथ–साथ चल रहे हैं। 5 साल साथ–साथ रहेंगे और चूंकि मैंने अभी कहा है कि आपका और हमारा उत्तराखण्ड के प्रति एक ही दृष्टिकोण है। तो हमें कोई मुश्किल नहीं पड़ती उसमें। आपने यहां पर जो बात कही है, मैंने कोशिश की है, उनका जवाब देने की और अन्य जो हमारे माननीय सदस्य हैं, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो उस समय आप लोग अपनी बात को रखेंगे और हम पूरा नोटिस लेकर उसका जवाब देंगे।

मैं अपने इस वक्तव्य में सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको मौका दिया है कि हम अपना योगदान उत्तराखण्ड राज्य के हित में 5 साल तक कर सकें। मैं सदन का भी आभारी हूं कि आपने आज इस विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान हमें हमारी कमियां भी बताई। आशा है कि भविष्य में आप भी हमें समर्थन देंगे, विश्वास मत प्राप्त होने के बाद। मुझे यह भी विश्वास है कि जब हमें सेवा करने का आप लोग अवसर देंगे तो यह कमियां आपको नहीं दिखेंगी। मैं अपने सभी सहयोगियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और निर्दलीय विधायकों का भी आभार प्रकट करता हूं जो कि सरकार को चलाने में हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्ता सुख भोगने के लिए सरकार नहीं बना रहे हैं बल्कि उत्तराखण्ड की जनता की सेवा करने के लिए, कुछ भला करने के लिए सरकार बना रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

मान्यवर, हमारा भी एक सपना है और यह वही सपना है जो इस राज्य के आन्दोलनकारियों का सपना था। हममें से कई लोग आन्दोलन में रहे हैं, जेल गये हैं, यातनायें झेली हैं और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हम उत्तराखण्ड की सेवा शासन के माध्यम से करना चाहते हैं। मुझे याद है कि 1 सितम्बर, 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ और जब उसका विरोध हुआ तो 2 सितम्बर, 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ जिसमें हमारे बच्चे और महिलाओं पर भी गोली चली और इसके बाद जो इस राज्य के आन्दोलन के इतिहास में काली रात और काला दिन है, रात्रि 1/2 अक्टूबर, उस दिन रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में हमारी महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। यह सब वह बातें हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत है। जिसकी दिवाकर जी ने चर्चा की थी।

(माननीय सदस्य श्री दिवाकर भट्ट जी के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

जी हां, श्रीयंत्र टापू की भी बात है, मैंने तो पहले भी कहा कि आपने तो कभी

टापू और कभी पर्वत पर रहकर अपनी बात रखी है। इस आन्दोलन में आप सबका और हम सबका योगदान रहा है, जब यह आन्दोलन चल रहा था तो हमारे प्रदेश के सारे लोग इसमें लगे थे। यही नहीं हमारे कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को ताक पर रखकर आन्दोलन किया है और मुझे याद है कि कोटद्वार में जो फौज के रिटायर व्यक्ति थे उन्होंने वर्दी पहन कर भी प्रदर्शन किया था, सबने योगदान दिया और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस पीड़ा को समझें। मैंने पहले भी कहा है कि आप और हमने साथ ही राज्य की लड़ाई लड़ी है और हमारी नीतियों में भी ज्यादा अन्तर नहीं है, छोटा–मोटा फर्क इसमें हो सकता है। मैं सब से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया, उत्तराखण्ड के हमारे छोटे से भूखंड को, जिसमें क्षमता है, प्रकृति ने हमें असीमित संसाधन दिये हैं, जिनके सदुपयोग से हम इस प्रदेश को इस देश का सबसे विकसित प्रदेश बना सकते हैं। मुझे आशा है कि इन पांच सालों के अन्दर इस प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाने और अच्छा प्रशासन देने के लिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी नेता सदन ने कहा है कि कुछ नियुक्तियों को इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि वहां पर पैसे के लेन–देन की बातें सामने आई हैं तो मान्यवर, जब यह सरकार को पता है तो यह भी पता होगा कि यह लेन–देन किसने किया है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, यह जो प्रकरण सरकार के संज्ञान में आये हैं, उन पर माननीय नेता सदन ने गंभीरता से लिया है और इनकी जांच कराई जायेगी और रोजगार निरस्त नहीं किये गये हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय नेता सदन अगर किसी बात को सदन में कहते हैं, तो उसके मायने होते हैं।........

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से सदन सहमत है?

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया अपना हाथ खड़ा करें।

(सचिव विधानसभा द्वारा "हां" के पक्ष में हाथ खड़े किये सदस्यों की गिनती की गयी।)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों कृपया हाथ खड़े करें।

(सचिव विधानसभा द्वारा "ना" के पक्ष में हाथ खड़े किये सदस्यों की गिनती की गयी।)

श्री अध्यक्ष–

हां की संख्या 39 और विरोध की संख्या 08 है। (मेजों की थपथपाहट) इस प्रकार विश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ। (कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गये।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत जी की है। दूसरी सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री तिलक राज बेहड़, श्री राजेश जुवांठा, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री किशोर उपाध्याय तथा अन्य माननीय सदस्यगण की है। तीसरी सूचना श्री शहजाद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश जी की है। चौथी सूचना श्री बलबीर सिंह नेगी जी की है। पांचवी सूचना श्री हरिदास, काजी निजामुद्दीन तथा श्री सुरेन्द्र राकेश जी की है। इस प्रकार कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं, इनमें से तहसील व थाना विकास नगर जनपद देहरादून के ग्राम पपडियान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम पंचायत पष्टा विकासनगर के ग्राम प्रधान श्री टीकम सिंह पुत्र श्री कलम सिंह के ऊपर प्राणघातक हमले के संबंध में डा0 हरक सिंह रावत जी की सूचना है। इसके अलावा डा0 हरक सिंह रावत की नियम 310 की सूचना श्रीनगर के संबंध में है। आपको एक ही सूचना पर बोलना है। 13–03–2007 को जनपद देहरादून में अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को अत्यधिक हुई क्षति के संबंध में श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह राणा एवं अन्य माननीय सदस्यों की सूचना है। श्री दिनेश अग्रवाल जी की नियम 310 में भी एक सूचना है, किन्तु मैं एक ही विषय पर सुनूंगा। जनपद हरिद्वार में सिडकुल के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों द्वारा रोजगार दिये जाने पर शासनादेश का उल्लंघन तथा श्रम विभाग के नियमों का पालन न करने संबंधी मौ0 शहजाद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना है। दिनांक 12–03–2007 को देहरादून में कक्षा 11वीं की परीक्षा में गणित का द्वितीय प्रश्न–पत्र लीक होने के संबंध में श्री बलबीर सिंह नेगी की सूचना को मैं नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कल पौने तीन, तीन बजे के बीच में प्राकृतिक आपदा के रूप में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि देखने को मिली। इससे जो भयावह असर हुआ उसमें देहरादून और उसके आसपास की जितनी कृषि की फसल थी, वह पूर्णतः नष्ट हो गई है और मैं समझता हूं कि इससे जो छोटे कृषक थे और देहरादून के आसपास के कृषक ऐसे हैं जो सब्जी की खेती करते हैं।

मान्यवर, जो सब्जी की खेती करते हैं उसमें थोड़ा गेहूं लगाते हैं, जो यहां पर वर्षों–वर्षों से देहरादून को कृषि फसल की सप्लाई करते हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान इस ओलावृष्टि से हुआ है। वे लोग आज सुबह मुझसे मिलने आये थे, मेरी सुबह जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता भी हुई थी, मैंने उनको इस चिन्ता से अवगत कराया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने आज सुबह इस संबंध में अखबार में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिये हैं, उसका पालन अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, जो कारगी, भण्डारीबाग, पथरी बाग, बंजारावाला, मोथरावाला, मियांवाला, मोहब्बेवाला, पिथ्थूवाला, सेवलाकलां, केशरवाल, बालावाला, जोगीवाला, बद्रीपुर, रायपुर, डोईवाला, जौनपुर, समाल्टा, मालदेवता क्षेत्र में जो फसलें थीं वह बिल्कुल समाप्त हो गयीं। आज किसानों की स्थिति यह हो गई है कि उनके पास रोटी खाने के लिए भी नहीं है। यह एक ऐसी आपदा है जिसका श्रीमन्, किसी राजनीति से लेना नहीं है यह आपदा स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस आपदा में जो नुकसान हुआ है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। मैं समझता हूं कि जितनी चिन्ता हमें है उतनी चिन्ता सरकार को भी होगी। इस मामले में अतिशीघ्र फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि किसानों के सामने इस समय घर में चूल्हा जलाने की समस्या पैदा हो गयी है।

देहरादून में जो सबसे बड़ी बात है जो छोटा कृषक है यह ठेके पर लेकर कृषि करता है। यहां पर महंत जी की बहुत सारी जमीन है। आज तो देवेन्द्र दास जी हैं जिनकी जमीन वह लोग ठेके पर दो साल के लिए लेते हैं, कुछ जमीन नगर निगम की है कुछ जमीन जल संस्थान की है। आज उनको पैसा देना है, वहां पर खेती के नाम पर कुछ नहीं बचा है। मेरी सरकार से मांग है कि इसके साथ जो लीची और आम के बाग हैं वह पूरी तरह नष्ट हो गये हैं। आपके घर में भी पेड़ होंगे उनमें कहीं पर भी बौर नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। हमारी चिन्ता इस मामले में है कि सरकार इस पर अविलम्ब कदम उठाये, प्राकृतिक आपदा के रूप में जो आपदा हुई है उस रूप में किसानों को समुचित मुआवजा मिले, ऐसा नहीं उन्हें दो सौ, पांच सौ मुआवजे की राशि दे दें। जितना नुकसान हुआ है उसकी विस्तृत रूप से जांच कराकर तहसील के लोगों को लगाकर, दूसरे लोगों को लगाकर विस्तृत रूप से जांच करके सरकार को इसमें अविलम्ब मदद करनी चाहिए और उनको उचित मुआवजा देना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, समस्या पूरे प्रदेश की है, पूरे प्रदेश में आपदा आयी है इसमें हमारे सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दिया जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जितने लोगों ने सूचना दी है उतने लोगों को तो बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह जो सूचना है देहरादून से संबंधित है मैं इसे पढ़ कर सुना देता हूं। दिनांक 13 मार्च, 2007 को अपराह्न 03 बजे जनपद देहरादून में अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को अत्यधिक क्षति हुई है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की बात है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

माननीय अध्यक्ष जी, दो–दो मिनट सभी सदस्यों को दे दिये जायें, विषय की पुनरावृत्ति न हो।

*श्री केदार सिंह–

मान्यवर, ओलावृष्टि की जो कल घटना हुई है वह न सिर्फ देहरादून में हुई बल्कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में और उत्तरकाशी में हुई है। इसमें मैं आपका ध्यान इसी से संबंधित जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है उसी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, जो ओलावृष्टि हुई है उसके बारे में मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि मैदानी क्षेत्र के अलावा पर्वतीय क्षेत्र में भी इस राष्ट्रीय योजना में जिसमें एफ0आर0डी0सी0 के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को प्रयोग में लिया जाय। जिससे पर्वतीय क्षेत्र को भी समान राहत के अन्तर्गत यथोचित संशोधन इन पर्वतीय जनपदों के लिये भी किये जायें। इस ओलावृष्टि से जो किसानों को क्षति हुई। हर जिले, हर तहसील में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित रहे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी ने पूरे जिले को सम्मिलित करते हुए जहां–जहां पर ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है, वह उसी परिक्षेत्र में हमारा कुछ विधान सभा परिक्षेत्र भी आता है। तो सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि इस पर, इस ओलावृष्टि पर दैवी आपदा के उन मानकों को शिथिल तो नहीं कर पायेंगे, लेकिन मैं समझता हूं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस विशेष परिस्थिति में विशेष अनुकम्पा के साथ उन किसानों को राहत अवश्य दी जाय और उनको विशेष अनुग्रह राशि प्रदान की जाय मानकों के अतिरिक्त, यही मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद देहरादून की जो यह सूचना आयी है इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों को भी इस सूचना के साथ मान लिया जाय।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार से नहीं बोला जायेगा। जिनकी सूचना है वही बोलेंगे और नियमों का पालन करें।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस ओलावृष्टि की सूचना में कुमाऊँ मण्डल को भी सम्मिलित किया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत की गयी, इस सदन के माध्यम से मैं उस दिन की घटना का उल्लेख करता हूं जो दिनांक 13 मार्च के सायं 2 बजकर 50 मिनट पर जो ओलावृष्टि हुई है। इसके लिये ये सरकार देहरादून के अलावा पूरे क्षेत्र की सूचना की सम्पूर्ण जानकारी ले रही है–

मान्यवर, हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है उसमें 21 तहसीलें............

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि जब माननीय प्रकाश पंत जी सदन में घुस रहे थे तभी ये ओलावृष्टि हुई।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें चिन्ता की क्या बात है। मान्यवर, वर्तमान में हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है उसमें देहरादून की 2 तहसील, पिथौरागढ़ की 3 तहसील, नैनीताल की 2 तहसील, अल्मोड़ा की 9 तहसील, ऊधमसिंह नगर की 2 तहसील कुल 21 तहसीलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह जो रिपोर्ट है उसमें तहसीलों के नाम नहीं हैं तो यह कैसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें तहसील के नाम ही नहीं है, इसका मतलब ये अधूरी जानकारी दे रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन, जो प्रारम्भिक सूचना रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है उसमें 21 तहसीलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं। दिनांक 13–3–07 को अपरान्ह 2.50 बजे ओलावृष्टि से जनपद देहरादून का शहरी एवं शहर से लगा हुआ बाहरी क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार रबी की फसल, लीची, आम व अन्य औद्यानिक फसलें तथा वनस्पतियों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। मान्यवर, दैवीय आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार व्यय की जाती है। आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा मद एवं मानक निर्धारित किये गये हैं। दैवीय आपदा से फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में निर्धारित मानकों के आधार पर राहत सहायता वितरित किये जाने का प्राविधान है। तात्कालिकता के आधार पर राहत सहायता वितरण करते हुए हमारी सरकार की ओर से समस्त जिलाधिकारियों के निवर्तन पर एक मुश्त धनराशि 20–20 लाख की धनराशि समस्त जनपदों को आवंटित की गयी है। इस प्रकार प्रभावितों में राहत सहायता वितरण हेतु रु0 2.60 करोड़ की धनराशि समस्त जनपदों को आवंटित की गयी है। अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुयी क्षति का प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं आंकलन जनपदों द्वारा कराया जा रहा है। फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर आपदा राहत कोष से नियमानुसार राहत सहायता प्रभावितों में वितरित की जायेगी। श्रीमन्, हम सदन को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो छोटे–छोटे किसान हैं, जो सब्जी बोकर अपना जीवन–यापन करते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले छोटे किसानों जिनका इस ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उनका सर्वेक्षण इस रिपोर्ट के आधार पर करके सहायता की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मंत्री जी एवं माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, कितनी ग्राम सभाओं में नुकसान हुआ है उन तहसीलों के नाम नहीं हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बाद में निवेदन कर लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा निवेदन है। गम्भीर विषय है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब पीठ से आग्रह हो जाता है तो किसी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं पीठ से ही निवेदन कर रहा हूं। मान्यवर, भारत सरकार का नियम बहुत कम है, वह देना न देना बराबर है, 20 रुपये नाली पड़ती है। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप बाद में कह दें। श्री बलबीर सिंह नेगी जी, आप अपनी सूचना के बारे में कहें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कुछ विशेष पैकेज की घोषणा कर दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विषय का परीक्षण कराया जायेगा और इसके परीक्षण कराये जाने के बाद ही....

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बाद में कह दें। माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, आप अपनी सूचना पर कुछ कह रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, दिनांक 12–3–07 को राजधानी देहरादून में ग्यारहवीं की परीक्षा शुरुआती दौर में ही विवादों के घेरे में आ गई। सोमवार को करीब आधा दर्जन स्कूलों में गणित

का द्वितीय प्रश्न पत्र लीक हो गया। परीक्षा में गड़बड़ी का पता सुबह नौ बजे तक चला जबकि गुरुराम राय इण्टर कालेज नेहरुग्राम के प्रधानाचार्य के0डी0 भारद्वाज ने जिला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र सिंह राणा को बताया कि एक बच्चे के पास ऐसा पर्चा मिला है, जो असली प्रश्न पत्र से मेल खाता है। इस पर श्री राणा उक्त विद्यालय पहुंचे और संबंधित छात्र से पूछताछ की। उसके पास से मिले पर्चे में छः प्रश्न ऐसे थे जो असली प्रश्न पत्र में शामिल थे। इनका क्रम भी हुबहू वही था। पूछताछ में इस छात्र ने धर्ममपुर स्थित गोवर्धन सरस्वती विद्यामन्दिर इण्टर कालेज के एक छात्र से यह पर्चा हासिल करने की बात कही। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी सीधे धर्मपुर पहुंचे वहां भी एक छात्र के पास वही पर्चा मिला। इस छात्र ने बताया कि उसे सनातन धर्म इण्टर कालेज बन्नू रेसकोर्स के छात्र से प्रश्नों वाला पर्चा मिला। वहां एक छात्र ने इसकी कड़ी डी0ए0वी0 इण्टर कालेज से जोड़ दी। प्रश्न यह है कि कहां से पर्चा लीक हुआ इसकी गहन पड़ताल की जानी चाहिए। छात्रों के हाथ यह पर्चा कैसे पहुंचा, कौन लोग इसमें शामिल हैं और इसके लिए पैसों का लेनदेन हुआ या अन्य सौदा, इन सभी की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की है इसलिए इस विषय पर सदन के कार्यों को स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी माननीय विधायक घनसाली द्वारा जो विषय सम्मानित सदन के समक्ष रखा है यह घटना जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया कि देहरादून में ग्यारहवी की कक्षा की परीक्षायें चल रही थीं और यह परीक्षायें बोर्ड की परीक्षायें न होकर गृह परीक्षाओं के रूप में संचालित हो रही थीं। अन्य विषयों की भांति गणित द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा सोमवार को हुई और जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ विद्यालयों में जाकर पर्चा आउट हुआ है तो इसकी जानकारी प्राप्त होते ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई और जब सम्पूर्ण जनपद की जानकारी ले ली गई तो पता चला कि 4 विद्यालयों में इसका प्रभाव पड़ा और इन चारों विद्यालयों में परीक्षा सम्बंधित विषयक की परीक्षा को निरस्त करा कर, दोबारा परीक्षण लिये जाने का आदेश पारित हो चुके हैं।

मान्यवर, साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने की विस्तृत जांच के आदेश दिये गये हैं और जांच प्राप्त होते ही मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें कहीं पैसे का लेन देन हुआ है। जहां तक पर्चा लीक होने की बात है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और साथ ही यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि परीक्षाफल निर्धारित तिथि को ही होगा।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी जी को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूं।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी एक अहम् समस्या है। हरिद्वार भी प्रदेश का हिस्सा है, उसने भले ही आंदोलन न किया हो। मान्यवर, आज वहां जो सिडकुल की स्थापना हुई है, वहां काफी बड़े–बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, परन्तु बेरोजगार नवयुवक आज भी दर–दर की ठोकर खा रहे हैं। वहां की महिलाएं, बच्चियां जो उन फैक्ट्रियों में कार्य करती हैं, उनसे प्रतिदिन 12–12 घंटे कार्य कराया जा रहा है और उसके बदले में मात्र 1800 रु0 दिया जा रहा है। श्रम विभाग के कानून वहां पर लागू नहीं हैं, ठेकेदारी प्रथा से कार्य लिया जा रहा है, जिसको कि सरकार द्वारा रोजगार कहा गया है। मान्यवर, यह रोजगार नहीं है यह तो मजदूरी है, इस मजदूरी को रोजगार नहीं कह सकते हैं। आज पूरे हरिद्वार जनपद में एक ही रोष व्याप्त है। आखिर यहां के बेरोजगारों को रोजगार कहां से मिला। मान्यवर, जनपद की उपजाऊ भूमि भू–माफियाओं, फैक्ट्री मालिकों के पास है। यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिला है बड़ी–बड़ी कम्पनियां 1800 रु0 देकर काम ले रही हैं। मान्यवर, 100 आदमी सुबह ही बुला लिये जाते हैं, फैक्ट्री मालिक को जितनी आवश्यकता होती है, उतने रख लेता है और बाकी लोगों को बाहर भेजा जाता है। मान्यवर, आज स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। इसको न ही रोजगार कह सकते हैं और न ही यह हरिद्वार के हित में है। हरिद्वार के हिस्से में उद्योग लगे, लेकिन इनसे वहां पर प्रदूषण की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, रोड की समस्या पैदा हुई है। मान्यवर, इससे आज हरिद्वार का कोई भी वासी सहमत नहीं है। मान्यवर, आप लोग भी सभी जानते हैं एक तरीके से यह समस्या सदन में पहले भी उठती रही है। हरिद्वार की जनता का क्या होगा? मान्यवर, 70 प्रतिशत का जी0ओ0 शासन ने किया था कि स्थानीय लोगों को लिया जायेगा, लेकिन यह संख्या 5–6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। मान्यवर, यहां पर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के लोग नौकरी कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का कम्पनियां इंटरव्यू कर रही हैं। मान्यवर, उनको रोजगार नहीं दिया जाता। कहने को स्थानीय...........

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित कर दीजिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

आपको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अभी सीमित कर दीजिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, उसमें इसका उत्तर नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी सीमित कर दीजिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सीमित कर दूंगा। मान्यवर, 70 परसेंट की जो बात है, वह पूरी तरह आज लागू नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 5–6 परसेंट लोकल लोग हैं। 70 परसेंट लोकल होने चाहिए। जो आज जी0ओ0 है, उसके तहत काम होना चाहिए। मान्यवर, जो वहां पर फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, कैंटीन की कोई व्यवस्था किसी भी कम्पनी में आज नहीं है। वहां के लोगों के साथ, स्थानीय बेरोजगारों के साथ, जो महिलायें हैं, उनके साथ, जो बच्चियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, पशुओं की तरह 12 घण्टे, 14 घण्टे काम लिया जा रहा है और 1800–2000 रुपये जो मिलते हैं, वह ठेकेदार को मिलते हैं। ठेकेदार उसमें से कितने देता हैं, यह बाद की चीज है। यह किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता । इस तरह ये प्रदेश के हित में नहीं है, हरिद्वार के हित में नहीं है। इस पर मैं चाहूंगा कि इसमें हमें, हरिद्वार वासियों को, उत्तर–प्रदेश वासियों को आपका संरक्षण मिले। इस पर चर्चा हो।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उत्तराखण्ड वासी कहिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, उत्तराखण्डवासियों को ही ले लीजिए। इस पर चर्चा कराई जानी अति आवश्यक है। यह ऐसा अहम मुद्दा है कि इस पर चर्चा होगी तो इसके हर पहलू पर, हर प्वाइंट पर मुद्दा सामने आएगा और जिस पर शासन और सरकार कार्यवाही करे। जो हरिद्वार के हित में हो, उत्तराखण्ड के हित में हो। उत्तराखण्ड के हर बेरोजगार को वहां रोजगार मिले, मेरी ऐसी मंशा है।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हरिद्वार जनपद के लिए बहुत ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी। विशेषतः इन फैक्ट्रियों में जो उत्पीड़न और शोषण मिल मालिकों के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों का किया जा रहा है। ये बहुत ही असहनीय बात वहां के स्थानीय बेरोजगारों के लिए है। हो सकता है यदि इस पर जल्दी चर्चा न करके शासन और सरकार ने कोई निर्णय न लिया तो वहां के बेरोजगार मजबूर होकर कोई ऐसा आन्दोलन कर दें, जिससे कि कानून व्यवस्था भी भंग हो जाए। उससे पहले कि हरिद्वार जनपद की कानून व्यवस्था भंग हो, वहां के नौजवान साथी तैश में आकर कोई गलत निर्णय न ले लें, तो वहां जो नौजवान साथियों का, बेरोजगार युवकों का उत्पीड़न इन मिल मालिकों द्वारा किया जा रहा है, उसे तत्काल बन्द किया जाय। इसलिए बन्द किया जाय क्योंकि वहां पर जो शोषण उनके द्वारा हो रहा है, वे जो मजदूरी देते हैं, ठेका प्रथा के आधार पर वहां ठेकेदार नियुक्त किये गये हैं। वे 12 घण्टे उन युवकों से जो काम कराते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें केवल 2000 रुपया मजदूरी के तौर पर देते हैं। जबकि अगर खेत में भी कोई मजदूर काम करने के लिए जाएगा तो कम से कम सवा सौ रुपया हमारा किसान भी उसे मजदूरी देता है।

यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए इस पर चर्चा कराना बहुत ही अनिवार्य है। इसमें पिछली सरकार ने एक शासनादेश भी पारित किया था कि 70 परसेंट स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि भगवानपुर क्षेत्र में भी श्री रामपुर राणा क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग लगाए गए हैं। वहां के 7 परसेंट लोगों को भी नौकरी नहीं दी जा रही है। जिससे कि वहां के युवाओं में बहुत ही रोष उत्पन्न है। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि वहां के नौजवान साथी कोई गलत निर्णय न ले लें, उससे पहले इस पर चर्चा कराकर 70 परसेंट युवकों को वहां पर नौकरी दिलाने का कार्य सरकार करे। यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। इस पर चर्चा की जाए, यह मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या कोई नाराजगी है?

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, क्या नाम से ही होगा?

श्री अध्यक्ष–

हां, इसमें आपका नाम नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, दो मिनट मुझे भी इसमें बोलने का अवसर दे दें।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सूचना में आपका नाम नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बिना नाम के कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों को मुझे लगता है कि बोलने का अवसर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर आपका नाम नहीं है, आप मेरी भी मजबूरी को समझियें, नियम–58 में वही सदस्य बोल सकते हैं, जिनके सूचना पर हस्ताक्षर हों।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जो यह सिडकुल में इंडस्ट्रीज जोन बन रहे हैं, मैं इस समस्या को पहले भी उठाता रहा हूं और उनके बारे में मुझे पूरा पता है.........।

श्री अध्यक्ष–

आप बाद में अन्य नियम के तहत इस पर चर्चा कर लें।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहादराबाद और माननीय सदस्य भगवानपुर द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में नियम 58 के तहत चर्चा कराये जाने की मांग की गई है। इसमें जिन विषयों का उल्लेख करते हुये माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा वह निश्चित ही एक गंभीर विषय है। सरकार रोजगार के विषय पर अत्यंत गम्भीर है, क्योंकि रोजगार ही उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख अंतर्विरोध है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2005 में रोजगार नीति प्रख्यापित की गई थी और इस रोजगार नीति के आधार पर 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के निवासियों को, स्थाई निवासियों को इस राज्य में लगने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार देने की अनिवार्यता की गई थी और जिन स्थानों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया इसकी शिकायतें पूर्व में भीं आई थीं कि वहां पर कार्य करने वाले बेरोजगार नौजवानों का, उनकी औद्योगिक इकाईयों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है।

श्रीमन्, इसके लिए श्रम विभाग द्वारा उप–श्रमायुक्त, देहरादून के अधीन एक टीम गठित की गयी, जिसमें विभाग के सहायक निदेशक, कारखाना तथा स्थानीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी शामिल हैं। इनके द्वारा 22 इकाईयों का सैम्पल निरीक्षण किया गया और 62.5 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना पाया गया है। लेकिन एक और आपत्तिजनक बात संज्ञान में आई है कि इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा कर्मचारियों के श्रम कानूनों के उल्लंघन किये जाने का जो प्रश्न है तो इस संबंध में सिडकुल क्षेत्र के हरिद्वार क्षेत्र में स्थापित 10 इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और आकस्मिक निरीक्षण के बाद पाया गया कि माननीय सदस्य जिस बात को सदन के संज्ञान में ला रहे हैं, वह ठीक है। अधिकांश इकाइयों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और वेतन भुगतान अधिनियम का दोषी पाया गया।

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदन को इस सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं और माननीय सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन सभी इकाइयों के विरुद्ध

वैधानिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। इस प्रकार के प्रकरणों में जिनमें श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया जायेगा, इस सरकार द्वारा कभी बरदाश्त नहीं किया जायेगा और निश्चित रूप से ऐसे प्रकरणों पर गंभीरता से कार्रवाई करने का सरकार आश्वासन देती है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, वहां पर जो ठेकेदारी प्रथा और श्रम कानून का जो उल्लंघन किया गया है......।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, श्रम कानून के उल्लंघन के बारे में मैंने उत्तर में बता दिया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, जो टीम गठित हुई है, उसके लिए आपका यह आश्वासन आना चाहिए था.....।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस टीम की कार्य प्रणाली ही संदेह के घेरे में है, क्योंकि कोई भी इकाई ऐसी नहीं है.....।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर ही एक टीम गठित की गई, इसने जांच की और यह अनियमितता सामने आई।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा का विषय नहीं है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बिन्दुओं को देख लिया जाय।

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

मान्यवर, आपने अभी एक गम्भीर आरोप लगाया कि जो टीम वहां गई थी, वह भी ठीक काम नहीं कर रही है। यह गम्भीर बात है। आपने जो कुछ कहा है हम उसकी जांच कराएंगे, कहां से दूसरी टीम भेजना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, सदन के सदस्यों को भी टीम में रखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय शहजाद जी, माननीय हरिदास जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, 310 की जो सूचना हम 9 विधायकों ने दी थी, अच्छा होता कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर 58 के बजाय 310 में चर्चा होती, लेकिन आपका आदेश सर्वोपरि है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जिस क्षेत्र की यह घटना है वह हमारे माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद भी है और इसके साथ–साथ यह हिमालय पुत्र स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी का भी जन्मस्थल है और उस स्थान पर 11 तारीख की रात को जब वहां से मुझे एक छात्र नेता का फोन आया कि हमारी जान यहां पर खतरे में है और जिस तरह का एस0एम0एस0 पूरे श्रीनगर शहर पौड़ी शहर, टिहरी शहर में 80 प्रतिशत आंकड़े दिये कि इस तरह के संदेश आ रहे हैं और जब वहां के प्रबुद्ध वर्ग ने, और जब वहां पर लोगों ने इसका प्रतिकार किया शासन के समक्ष और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि श्रीनगर में टिहरी बांध विस्थापित अल्पसंख्यक लोग वहां पर हैं। यूनिस भाई का फोन आया कि हमने दो दिन से दुकानें नहीं खोली हैं। इस तरह से लोगों को टेरेराईज किया गया। उन्होंने कहा कि जब से यह नई सरकार आई है, वह कहीं इसे गोधरा न बना दे, हमारी जान खतरे में है। यह चिंता का विषय है। हमारे दो कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊँ के बैठे हैं और वे हंस रहे हैं। इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई नहीं हो सकता है।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। दीर्घाओं को संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं उसका संज्ञान नहीं ले रहा हूं। अगर यहां के अल्पसंख्यक इस भावना के साथ इस राज्य में रहेंगे तो इससे बड़ी दूसरी कोई चिंता की बात नहीं है। जयपाल भण्डारी जो छात्र नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमने प्रदर्शन किया और हमारी जान को खतरा है। मान्यवर, यह देवभूमि है। यहां चार धाम हैं, पिरान कलियर है, मान्यवर, इसको देश एक श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। अगर इस पर त्वरित कार्यवाही न हो, कितने अल्पसंख्यक श्रीनगर में रहते हैं, कोई घटना हो सरकार की तरफ से इस तरह के काम हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए कोई सुनिश्चित नीति नहीं बनी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा चिन्ता का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि इस पर गम्भीर रूप से सदन के आज के सारे कार्य को रोककर इस पर चर्चा करायें। यह सदन सर्वोच्च है, यह सदन इसके लिए जवाबदेह है। एक कारगर नीति सदन के सामने रख दें तो हमारा प्रतिपक्ष संतुष्ट हो जाता है नहीं तो गम्भीर रूप से इस घटना के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, सदन के अन्दर और सदन के बाहर कैसे प्रतिकार किया जाये। यह हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सम्मानित सदस्य टिहरी श्री किशोर उपाध्याय जी के विचारों से अपने आप को उनकी चिन्ता से सम्बद्ध करता हूं और बहुत गम्भीर विषय उन्होंने यहां पर उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तराखण्ड सचमुच धर्मनिरपेक्ष राज्य है इस राज्य में जो भाईचारा देखने को मिलता है मैं सोचता हूं पूरी दुनियां में, पूरे हिन्दुस्तान में यह भाईचारा शायद देखने को मिले। जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है क्योंकि श्रीनगर मेरा घर है और स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी जो हमारे देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी घर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का घर भी कहूं तो कोई गलत नहीं होगा पर हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं महसूस किया है कि श्रीनगर में भाईचारा सभी धर्मों के लोगों में है। मैं देखता हूं कि श्रीनगर में जहां यह घटना हुई है, गोला बाजार मेरी ससुराल भी है, और मैंने यह देखा है कि जहां मेरा ससुराल है वहां पर जो मुस्लिम भाई हैं वह मुझसे वही रिश्ता रखते हैं जो दूसरे हिन्दू भाई रखते हैं, वही सम्मान वही प्यार वही अपनापन वही स्नेह मुझको मिला है। मुझे याद है जब मैंने भारतीय जनता पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ा था तो हमारे मुस्लिम भाईयों ने बहुत मात्रा में मुझे सहयोग दिया था, मतदान किया था। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि [XXX] (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ऐसा नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर जोर–जोर से कहने लगे कि ऐसा नहीं है, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष जी–

इसे किसी सम्प्रदाय के रूप में इंगित करना उचित नहीं होगा। इसे कार्यवाही से निकाला जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस घटना का उल्लेख कर रहा हूं कि यहां पर भाई–चारे के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि हमारे प्रदेश में यह पहली घटना है, इस तरह की अश्लील चित्रों को एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। बालिकाओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया। इससे पूरे प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है। मेरा बहुत साफ कहना है कि अपराधी का कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं होता है। अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारी भी मंशा है और हम भी चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, अपराधी अमुक

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

धर्म का है, इसलिए उस धर्म के लोगों के साथ एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया जाए। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन को चलाना चाहते हैं, इस तरह की टोका–टाकी ठीक नहीं है। इस तरह की शुरुआत आपकी तरफ से होगी तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधी अमुक धर्म का है इसलिए किसी धर्म विशेष के निरपराध लोगों को मान्यवर, जिनका कोई दोष नहीं था उनकी दुकानें जलायी गयीं, उनके साथ मारपीट की गयी, उनको अपमानित किया गया। यह कैसा वातावरण इस प्रदेश में है। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जहां हेमकुण्ड साहिब, बद्री–केदार, गंगोत्री–यमुनोत्री, हरिद्वार की धरती, कलियर शरीफ इसी धरती पर हैं तो मैं कहता हूं कि तीनों के धार्मिक स्थलों को देखते हुए अगर मैं इसको त्रिवेणी की संज्ञा दूं तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी। उत्तराखण्ड धार्मिक दृष्टिकोण से त्रिवेणी है जहां हिन्दुओं का, सिक्खों का, मुसलिम भाईयों का धार्मिक स्थल है। इस धर्मनिरपेक्ष धरती को, इस प्रदेश के भाईचारे को कायम रखना इस सरकार की जिम्मेदारी थी। यहां के प्रशासन को सेन्सटिव होना चाहिए था कि जिस अपराधी ने अपराध किया उस अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके लिए प्रशासन को चौकस रहना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने इस संबंध में कुछ नहीं सोचा और वहां पर बेकसूरों के साथ मार–पीट हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और यदि प्रदेश में भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जायेगा तो कांग्रेस पार्टी सदन के अन्दर और सदन के बाहर पुरजोर विरोध करेगी। इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। जो कोई व्यक्ति इस प्रदेश की भाईचारे की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको कांग्रेस पार्टी की ओर से मुहतोड़ जवाब दिया जायेगा। कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं हुई है।

इसलिए, मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी चिन्ता होनी चाहिए। ये जो इस प्रदेश को पारदर्शी, कुशल, चुस्त–दुरुस्त प्रशासन देने की बात कर रहे हैं तो क्या चुस्त–दुरुस्त प्रशासन दे रहे हैं? क्या आपको इसकी समय से सूचना नहीं मिलती? इन्टेलीजेंस आपको समय से सूचना नहीं देती कि यह घटना हो गयी, उस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? एक छोटी सी घटना जो अपराध की घटना है लेकिन अपराध की घटना को एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी चिंता इसलिए नहीं है अगर एक ही धर्म की लड़की होती और एक ही धर्म का लड़का होता तो क्या उसी धर्म के जिस धर्म का अपराधी था, उस धर्म के लोगों की दुकान जलाई जाती? क्या उनके लोगों को पीटा जाता? मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि अलग धर्म का लड़का है और उसके अपराध की सजा निर्दोष लोगों को मिले। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह वातावरण पूरे प्रदेश में भाईचारे का वातावरण है। भाई निजामुद्दीन और भाई शहजाद में हमारा जिस तरह का प्रेम है, जिस तरह का भाईचारा है, यहां सदन में हम लोगों के बीच में है, अगर दो भाईयों के बीच में कोई दीवार बनने का प्रयास करेगा... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। मान्यवर, सवाल आज का नहीं है भविष्य में इस तरह की कहीं कोई घटना होती है तो अपराध की घटनाओं को अपराध के दृष्टिकोण से देखते हुए इसका कोई नाजायज फायदा, कोई असामाजिक तत्व सामाजिक वातावरण को दूषित करने का फायदा उस अपराध की घटना से न उठा पाये, इस तरह का प्रयास सरकार को करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच हो जाए। जो लोग भी दोषी हैं, क्योंकि एक अपराधी है उसके साथ कौन और लोग मिले हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वातावरण को बनाये रखने के लिए, भाईचारे को कायम रखने के लिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस वातावरण को बनाए रखने के लिए आपका संरक्षण और मार्गदर्शन चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो सूचना सम्मानित सदन के समक्ष रखी और जिस पर आपने सदाशयता का परिचय दिया है, कार्यस्थगन में ग्राह्यता पर सुना है इस सूचना में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 18 मार्च, 2007 को ही अपराधिक घटना का जिक्र किया। 11 मार्च, 2007 को श्रीमन् और सम्पूर्ण भाषणों में जैसा कि सम्मानित सदन समझ पाया है, इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में आप एस0एम0एस0 काण्ड की बात कर रहे हैं और यह एस0एम0एस0 काण्ड की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीनगर के थाने में दर्ज हुई है यह जनपद पौड़ी के थाना श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10 मार्च, 2007 को श्री संजय कुमार के द्वारा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अब आपने जो सूचना दी है यह आपकी सदाशयता है कि इस पर आपने ग्राह्यता पर सुना है, लेकिन चूंकि सदन में घटना का जिक्र आया है इसके सम्बंध में सरकार के पक्ष से अवगत कराना चाहता हूं। इस घटना की जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई तो तत्काल दिनांक 10 मार्च, 2007 को थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 177/07 धारा 67 आई0टी0 एक्ट, धारा 6 महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन निषेद्ध अधिनियम 1986 व धारा 294 भा0द0वि0 बनाम फैसल उर्फ लक्की पंजीकृत किया गया। इसके बाद उस घटनाक्रम के साथ 11 मार्च, 2007 को नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर श्रीनगर के कुछ स्थानीय लोग, व्यापारिक नागरिक थाने के आस पास एकत्र हो गये थे और जब थाने के पास एकत्र हुए और इनकी मांग थी कि अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और इस सम्पूर्ण मामले के खुलासे के नारे लगा रहे थे। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को उस नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई और मामले की जानकारी जब प्राप्त हुई और अभियुक्त को जेल भेजने की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और इसके पश्चात् 12 मार्च, 2007 को श्रीनगर में ही लगभग सौ सवा सौ स्थानीय छात्रों और नागरिकों द्वारा जुलूस निकाला गया और प्रदर्शन किया गया, इसकी आड़ में कुछ शरारती तत्वों ने छुटपुट घटना किये जाने का प्रयास किया।

मान्यवर, परन्तु स्थानीय पुलिस ने तत्परता से उस घटना को बढ़ने नहीं दिया और 13 मार्च को प्रथम सूचना रिपोर्ट कस्बा श्रीनगर में मो0 वकील जो कि ठेली लगाकर फल बेचने का कार्य करता है, जिसने थाने पर आकर सूचित किया कि लगभग 11.30 बजे

दो व्यक्ति उसकी ठेली पर आये तथा फल खरीददारी के दौरान उनसे उसकी कहा सुनी हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ मार पीट व गाली गलौच की गई। मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में थाना श्रीनगर पर एन.सी.आर. नम्बर 3/2007 धारा 323/504 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। मान्यवर, इस सम्पूर्ण घटना क्रम में पुलिस द्वारा श्रीनगर कस्बे की सुरक्षा की भावना से पुलिस बलों की तैनाती संवेदनशील जगहों पर की गई। मान्यवर, आज की स्थिति यह है कि श्रीनगर कस्बे में पूर्णतः शांति है। सरकार ने तत्काल निर्देशित किया है। मान्यवर, यह केवल पौड़ी जनपद का सवाल नहीं है। इस सम्बन्ध में एक शासनादेश 13 मार्च, 2007 को निर्गत किया गया। शासनादेश संख्या–294 जिसके द्वारा ये निर्देशित किया गया कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सम्भावित घटनाओं के सम्बन्ध में है। मान्यवर, सरकार की इच्छा है कि राज्य के अंदर ऐसी सभी घटनाओं की पूर्व जानकारी हो और इनसे तत्काल निपटा जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, राज्य सरकार को घटनाओं की पूर्व जानकारी हो यह कैसा शासनादेश है?....(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक सुख से जीवन यापन करें, इसलिए हमारी सरकार ने यह शासनादेश जारी किया है। मान्यवर, प्रतिपक्ष के माध्यम से जो बातें सामने आयीं, आपकी नोटिस में जिस बात को प्रदर्शित किया जा रहा है उन सारे विषयों को यह उत्तराखण्ड की सरकार इस राज्य के अन्दर अमन चैन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सब इस आदेश के माध्यम से किया जायेगा। यह आदेश सभी जिलाधिकारियों, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, सभी पुलिस अधीक्षकों के लिए जारी हो गया है।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो शासनादेश जारी हुआ है क्या समस्त जिलाधिकारी, समस्त एस0एस0पी0 इसके लिए जिम्मेदार होंगे?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से हो गया? श्रीमन्, उत्तरदायी अधिकारी/एजेन्सियों (जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन, अभिसूचना विभाग आदि) को सक्रिय किया जाय ऐसा निर्देश दिया गया है। मान्यवर, जैसे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा अपराधी तो अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, धर्म नहीं होता है। यदि उत्तराखण्ड राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, चूंकि मैंने इस सूचना के सम्बन्ध में श्रीमन्, विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया था कि सूचना में जिस तिथि का उल्लेख किया गया है, उस तिथि को आपराधिक घटना कोई नहीं हुई और चूंकि जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, यह घटना 10 तारीख की है। यह सम्पूर्ण प्रकरण कार्य स्थगन सूचना के रूप में ग्राह्य होने योग्य नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 03.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश।)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2007 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्रीमन्, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो आपने कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर मुझे दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। श्रीमन्, बहुत लम्बे संघर्षों के बाद उत्तरांचल की जनता के अथक और असीम बलिदानों के बाद और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से जो उत्तराखण्ड राज्य हमको मिला था। वह उत्तराखण्ड राज्य की एक विशेष परिकल्पना, देश के अन्दर एक विशेष प्रकार के राज्य की परिकल्पना के साथ, जो देश के सभी प्रकार के मानकों को पूरा करता हो, एक आदर्श राज्य के रूप में यह राज्य स्थापित हो। इस तरह की परिकल्पना से इस राज्य की मांग हुई थी और राज्य का निर्माण हुआ था और श्रीमन्, इस सद् इच्छा से शुरुआत में इस राज्य की आधारशिला रखी गई थी वह भी उन मानकों के आधार पर कि यह राज्य देश का एक आदर्श राज्य स्थापित हो सके। इस आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी। मान्यवर, यह मध्य हिमालय का क्षेत्र है, जहां देश ही नहीं दुनिया के तमाम लोग, जो कि अपने जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं, अपने जीवन से विमुख हो जाते हैं, वे इसी हिमालय की कन्दराओं में अपने नये जीवन को लेने के लिए आते हैं। मान्यवर, जहां हमें देश का सांस्कृतिक प्राण होने का गर्व है और पूरी दुनिया को एक

नई दिशा देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि अभी कुछ देर पहले इस सदन में भारत माता के एक ऐसे सपूत को नेता सदन के रूप में विश्वास मत अर्जित हुआ है। जिन्होंने सेना में रहते हुये देश की रक्षा के लिए सीमाओं में जाकर देश की सेवा की है और अपना पूरा जीवन दिया है और देश की रक्षा की है। आज भारत माता के उसी सपूत को उत्तरांचल की रक्षा, सुरक्षा, सज्जा और उत्थान की दिशा में इस भारत माता के सपूत को उत्तरांचल राज्य की बागडोर को लेने की शुरुआत हुई है। मुझे निश्चित रूप में भरोसा है उनके नेतृत्व में जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। मान्यवर, यह एक पिछड़ा क्षेत्र है, जब उत्तरांचल राज्य के आन्दोलन की शुरुआत हुई थी तो वह बेरोजगारी को लेकर हुई थी। हालांकि हम लोग इस बात को कभी नहीं भूले कि उत्तराखण्ड भारत माता का भाल है, हम लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए कभी उत्तरांचल राज्य नहीं चाहा, तो मान्यवर, यह राज्य जो भारत माता का माथा है, भाल है, उसको ताकतवर होना चाहिए, हमेशा सशक्त रहना चाहिए।

मान्यवर, इसमें सभी प्रकार की शक्ति रहनी चाहिए। माथा यदि कमजोर होगा, शरीर शक्तिहीन होगा तो शरीर का अस्तित्व कुछ भी नहीं रह सकता। इसलिए हम जो इस क्षेत्र के निवासी हैं। यह हमेशा से देशभक्त क्षेत्र रहा है इसलिए हमने इस क्षेत्र के बारे में विचार किया, राष्ट्र के बारे में विचार किया और इसलिए भारत सशक्त हो, सबल हो और उसका माथा हमेशा उन्नत रहे इसलिए भी हमने इस राज्य की परिकल्पना की है और परिकल्पना की थी।

श्रीमन्, 6 वर्षों में देखा जाये तो उन परिकल्पनाओं पर हम कहीं न कहीं खरे नहीं उतर पाये। जहां प्रदेश को आदर्श राज्य स्थापित करने की दिशा में हमने पहल शुरु की थी, शुरुआती दौर में वह कहीं न कहीं उस रास्ते से कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है। और मैं सोचता हूं कि आज बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लक्ष्य और उन आदर्शों के लिए उस रास्ते को तैयार करें, मजबूती से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। श्री महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण यह सरकार का पूरे वर्ष का दस्तावेज है और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस दस्तावेज में प्रदेश के समग्र विकास के लिए दलगत, वर्ग, जाति की भावनाओं से, राजनीति से ऊपर उठकर के पूरे मनोयोग के साथ इस राज्य को आदर्श राज्य स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने दृढ़ शक्ति के साथ अपनाया है। वहीं भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शितायुक्त, जनता के प्रति समर्पित शासन–प्रशासन और भयमुक्त समाज की स्थापना, मातृ शक्ति का सम्मान और देवभूमि की जो संस्कृति है उसको कायम रखने के लिए इस सरकार ने जो संकल्प लिया है श्रीमन्, मेरा पूरा भरोसा है कि जो शुरुआत यहां से होगी वह अपने तमाम मानकों को स्थापित करते हुए उस लक्ष्य की पूर्ति में निश्चित ही एक नींव का पत्थर साबित होगी।

श्रीमन्, किसी राज्य के लिए उसकी वित्तीय अर्थ व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है और अभी नेता प्रतिपक्ष सदन में पहुंचे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि छोटा राज्य है और इसके लिए एक–एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन वे पता नहीं क्यों पिछली बार अपनी सरकार को नहीं कह

पाये होंगे। वो तो अलग से हम लोग बात भी करेंगे, लेकिन श्रीमन्, जो वर्तमान में वित्तीय कुप्रबन्धन हुआ था उसकी स्थिति श्रीमन्, वर्तमान में यह है कि यह राज्य लगभग 16 हजार करोड़ से भी ऊपर का कर्जदार बन गया। श्रीमन्, देश की आजादी के बाद जितना मेरे संज्ञान में आया और जितना मैं अध्ययन कर सका हूं देश की आजादी के बाद यह पहला राज्य है जो इतनी जनसंख्या का है और इतने कम समय में इस सीमा तक ऋणग्रस्त हो गया हो। देश की आजादी के बाद यह पहला राज्य बना।

श्रीमन्, आज पेट में पलने वाला बच्चा भी उत्तरांचल की धरती पर पैदा होता है तो वह भी हजारों, लाखों रुपये कर्ज के बोझ तले पैदा होता है। यह सबसे बड़ी चुनौती इस सदन की है, सरकार की है, उत्तरांचल की जनता की है, यह कम चुनौती नहीं है और इसलिए यह जो श्री राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें इस कुप्रबन्धन पर श्रीमन्, मुझे याद है कि 9 नवम्बर को जब शुरुआत हुई थी, जब यह राज्य गठित हुआ था तो श्रीमन्, हम शून्य पर थे। हमने श्वेत पत्र जारी किया था उस दिन और दो दिन के अंदर इस राज्य की समेकित निधि में मात्र दो करोड़ रुपये थे। जबकि एक ही महीने का वेतन, पेंशन 120 करोड़ रुपये देना होता था। कैसी भयावह स्थिति से हम लोगों ने इस राज्य का शुभारम्भ किया और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ऐसी भीषण और विपरीत परिस्थितियों में भी उस स्थान पर लाकर राज्य को खड़ा किया जहां पूरे देश के अंदर देश की आजादी के बाद यह पहला राज्य बनाया हमने जिसने एक ही वर्ष में गत वर्ष की तुलना में साढ़े तीन सौ प्रतिशत राजस्व बढ़ाया। इस बात का हमको संतोष है। हमने श्रीमन्, उस समय में भी मान्यवर, नान प्लान का जो घाटा था वह 1795 करोड़ का था उसको घटा करके एक ही वर्ष में नया राज्य स्थापित करना था, तमाम समस्यायें थीं, हर कदम पर चुनौती थी फिर भी 1795 करोड़ के घाटे को घटा करके हम एक ही वर्ष में 1260 करोड़ पर लाये, लेकिन पिछले पांच वर्षों में श्रीमन्, देखें तो वह नान प्लान का घाटा बढ़ करके डेढ़ हजार करोड़ चला गया था और जो प्रस्ताव हमने दिया था भारत सरकार को कि हम को राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी, जब पूरे देश के राज्यों के बारे में विचार हो रहा था तो उस समय राज्य स्वरुप में नहीं आ पाया था, तो श्रीमन्, वह पांच हजार करोड़ रुपया राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति मिलने के बाद भी जो पिछली सरकार थी वह फिर राजस्व घाटे से इस राज्य को नहीं उबार सकी। यह कम चुनौतीपूर्ण विषय नहीं है, इसलिए श्री राज्यपाल जी ने, यह जो सरकार है, वह आदरणीय जनरल खण्डूड़ी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में हमारा पहला संकल्प होगा कि हम राजस्व घाटे को शून्य पर ला करके खड़ा करेंगे। यह हमारी पहली संकल्पना है। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, राज्य में वित्तीय अनुशासन पहली आवश्यकता होती है किसी भी सरकार की। मैं पीछे नहीं जाना चाहता लेकिन मुझको दुःख होता है कि बेदर्दी से जिस तरीके से जनता के खून और पसीने के पैसे को बहाया गया उस पर मैं आगे आ करके जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हमारी सरकार श्रीमन, राज्य में वित्तीय अनुशासन कायम करेगी। जो ये ऋणग्रस्तता है, 16 हजार करोड़ से भी अधिक की जिसमें 1260 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केवल ब्याज का जा रहा है। श्रीमन्, 2012 से जिस दिन किश्त जानी शुरु होगी इस राज्य की उस दिन

भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी क्योंकि डेढ़ हजार करोड़ रुपये केवल किश्त के रूप में वापस जायेगा। डेढ़ हजार करोड़ तब तक ब्याज का हो जायेगी, तीन हजार करोड़ रुपये 2012 में जिस दिन वापस जाने शुरु होंगे उस दिन दशा यह होगी कि पूरे राज्य में भयावह त्रासदी होगी। तो श्रीमन्, जनता आपको अब यह मौका नहीं देगी, यह तय हो गया है दूर-दूर तक। इन आंकड़ों को श्रीमन्, मैं इसलिए देना चाहता हूं ताकि अनावश्यक खर्चों पर सरकार अंकुश लगायेगी और नान प्लान के घाटे को शून्य करेगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है यह सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी और जो पीछे वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं, आज जो इस राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा करके बदसूरत बना दिया गया है उस पर यह सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। विशेष राज्य के दर्जे के तहत श्रीमन, जो वाह्य सहायतित योजनाओं से हम को लाभ मिलता है और केन्द्र पोषित योजनाओं से लाभ मिलता है। मैं उन आंकड़ों को बाद में जरुर प्रस्तुत करना चाहूंगा, लेकिन पिछली सरकार ने न वाह्य सहायतित योजनाओं का ठीक से उपयोग किया न केन्द्र पोषित योजनाओं का। यह सरकार हर हाल में चाहेगी कि विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो भी सुविधायें इस राज्य को उपलब्ध होती हैं उसका राज्य भरपूर लाभ उठायेगी। श्रीमन्, यह पूरा क्षेत्र धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहां पर पर्यटन की जितनी असीम सम्भावनायें हैं स्वीटजरलैण्ड भी इसके सामने बिल्कुल बौना पड़ता है। हमारी कोशिश होगी कि जो अदभुत प्राकृतिक सौन्दर्य है इसको पूरी दुनिया के अन्दर दिखलाया जाये। हम इसको व्यवस्थित करेंगे। यह पूरी दुनिया के आकर्षण का केन्द्र होगा। जहां हम सौलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वहीं हम बद्रीकेदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब और इतना ही नहीं हरिद्वार, पिरान कलियर, ऋषिकेश जैसी अदभुत पंचकेदार को यदि देखेंगे तो यह धार्मिक पर्यटन की एक लम्बी श्रृंखला है। श्रीमन्, इससे हम धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन देंगे यह पूरी दुनिया का अकेला क्षेत्र होगा जो सैलानियों को नया जीवन भी देगा। प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेने के साथ-साथ वह अन्तर मन से जो सांस्कृतिक प्राण है देश का, पर्यटक यहां से एक नया जीवन भी ले करके जायेगा और उसमें यह सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

मान्यवर, इसलिए नये पर्यटक सर्किटों की स्थापना करना, साहसिक और पर्यावरणिक पर्यटन विकसित करके बेरोजगारों को उससे जोड़ना, उस पर्यटन को बढ़ावा देना, ये हमारी पहली प्राथमिकताएं हैं। ये जो कैलाश मान सरोवर यात्रा है इसको और लोकप्रिय करेंगे। जिस तरह से नंदा देवी राज जात यात्रा को हमने हिमालय के महाकुम्भ के रूप में स्थापित किया था इसी तरह से आगे जहां उधर हमारी एक कैलाश मानसरोवर यात्रा है। नन्दा देवी राज जात यात्रा को भी उसी तरह से विकसित करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमन्, इसी तरह से ताल, बुग्याल और फूलों की घाटी का जब भी जिक्र आता है पूरी दुनिया लालायित हो जाती है उत्तरांचल को देखने के लिए, लेकिन उसका अभी तक व्यवस्थित तरीके से न प्रचार किया गया, न प्रसार किया गया, न उसको व्यवस्थित किया गया। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ताल, बुग्याल, ग्लेशियर जितने हैं, जितने भी हमारी फूलों की घाटी हैं, क्योंकि दुनिया में यह अद्भुत सौन्दर्य का कोई सानी ही नहीं है। इसलिए हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम पूरी धरती को स्वर्ग के रूप में किस

तरह से विकसित करना चाहेंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजनाएं हैं उसको व्यापक रूप देंगे और केरल की तर्ज पर जिस तरीके से ये पंचकर्म योग केन्द्र हैं पूरे हिमालय की घाटी में एक श्रृंखला बनाएंगे ताकि पूरी दुनिया का आदमी एक साथ कई लाभ उठा सके। जहां घूमने के लिए सैलानी के रूप में आयेगा, वहीं वह आध्यात्मिक रूप में भी उसको प्राप्त कर सकेगा। वहीं वह शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से भी पंचकर्म केन्द्रों का पूरा-पूरा लाभ उठा सके।

श्रीमन्, लगभग डेढ़ हजार किलोमीटर लम्बी नदियां उत्तरांचल में हैं, चीन में छोटी-छोटी जल विद्युत परियोजना बना करके लगभग चीन अपना 25 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करता है। मैं सोचता हूं कि श्रीमन्, चीन भी हमारे सामने कुछ नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो उत्तरांचल 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत और क्षमता रखता है, पूरी तरीके से उसका उपयोग हो। उत्तरांचल में नयी जल विद्युत योजना संचालित करके पानी और जवानी दोनों का समन्वय करने की हमारी कोशिश है क्योंकि आज तक न पानी का उपयोग हो सका न जवानी का दोनों अपनी हैं। गंगा और यमुना को देने वाला क्षेत्र पानी तक को भी तरसा है। (व्यवधान) यह नीतिगत विषय है। मुझे भाषण को पढ़ना है। श्रीमन्, राज्यपाल का अभिभाषण, यह नीति का एक प्रमाण होता है। नीति के अंदर हमें क्या-क्या करना है। (व्यवधान) मुझे आश्चर्य है श्रीमन्, यदि आप इसके 34वें प्रस्तर को पढ़ें तो इससे आपको स्पष्ट हो जायेगा।

मान्यवर, यह पेज 34 पर लिखा है। किशोर भाई सुन लें। पेज 34 पर पढ़ लें। श्रीमन्, ऊर्जा के क्षेत्र में घराटों के सुधारीकरण की योजना को हमारी सरकार क्रियान्वित करेगी, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित करने की कोशिश हमारी सरकार द्वारा की जायेगी। जो गांव विद्युत से वंचित हैं उनका विद्युतीकरण करेंगे। हमारी सरकार जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से पानी और जवानी जैसाकि हमने पहले कहा, दोनों का समन्वय करेगी।

श्रीमन्, यह राज्य शिक्षा का क्षेत्र है। यदि देखा जाए तो देहरादून, नैनीताल, मसूरी ये क्षेत्र आज से नहीं सौ, डेढ़ सौ साल से पहले हमेशा शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र रहे हैं। श्रीमन् हमने पिछली बार कोशिश की थी कि इस राज्य को शिक्षा के राज्य के रूप में विकसित करेंगे अब फिर वही समय आ गया है। श्रीमन्, हमारी सरकार ने उत्तरांचल को शिक्षा का केन्द्र और तेजी से बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च इन तीनों शिक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा है और उसके साथ तकनीकी शिक्षा को भी जोड़ा है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको हर हाल में हम शिक्षा उपलब्ध कराना चाहेंगे। माध्यमिक विद्यालय को एक-एक कागज पर शासनादेश कर दिए और अध्यापक नहीं हैं, यह स्थिति है उन स्थानों पर। हम अध्यापकों की पूर्ति करेंगे। स्कूल भवनों का निर्माण करेंगे। हम उपकरणों को देंगे और तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक शिक्षा बनाने के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों को जोड़कर करेंगे ताकि कोई हाथ खाली न रह सके। श्रीमन्, रुड़की का जो आई0आई0टी0 है वो हमारे लिए गौरव का विषय है पर पंतनगर विश्वविद्यालय और भरसार का औद्यानिक महाविद्यालय है ये दोनों भी एशिया में एक अद्भुत प्रकार के हैं। सरकार ने तय किया है कि वानिकी और औद्यानिक क्षेत्र में पंतनगर को और भरसार इन दोनों को सेन्टर

एक्सीलेंस के रूप में पूरी तरीके से विकसित किया जायेगा और उसके मानकों के आधार पर एशिया में और अद्भुत बनाने की कोशिश होगी। हमारी सरकार छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निकों की स्थिति यह है कि आई0टी0आई0 विद्यालयों को बंद इसलिए कराया जा रहा था कि उनके प्रशिक्षक नहीं हैं और न ही उपकरण हैं इसलिए हम प्रशिक्षकों की नियुकित करेंगे और उपकरण भी देंगे और इसमें रोजगार के विषयों को समाहित करेंगे। हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कृतसंकल्प है।

श्रीमन्, पिछली सरकार द्वारा कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्पधारियों को 24 घण्टे में रिलीव कर देंगे, लेकिन विकल्पधारी नहीं गए पर सरकार चली गयी। श्रीमन्, हमारी प्राथमिकता होगी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं उनको हम उत्तर प्रदेश भेजेंगे और यहां पर शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, हम न केवल नीति बनायेंगे, बल्कि क्रियान्वयन पर भी पूरा जोर देंगे। पिछली बार तो नीतियां कुछ बनती थीं और होता कुछ था, शासनादेश कुछ होता था किया कुछ जाता था, वह सर्वविदित है। उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय किशोर भाई तो उठकर चले गये। श्रीमन्, स्वास्थ्य की दिशा में ......।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यही बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते कि हम विकल्पधारियों को भेज देंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह इसमें है पढ़ लें। मैं कह रहा हूं जल्दी भेज देंगे। श्रीमन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र में आज भी चिकित्सक और दवाओं के बिना परेशानियां हैं और इसलिए महिलाओं के जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनको और मजबूत किया जायेगा और तहसील स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों को और सुदृढ़ करने के लिए यह सरकार संकल्पबद्ध है। महिलाओं को तहसील स्तर पर विशेष चिकित्सक उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हम स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण करेंगे, चिकित्सक और दवाई की पूर्ति करेंगे। श्रीमन्, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, क्योंकि यह प्रदेश आयुष प्रदेश है, आयुर्वेद का जन्म ही यदि देखा जाए तो यहां हुआ है और मैं कहना चाहता हूं कि दुर्लभ जड़ी–बूटियों के लिए कमी नहीं, यह मध्य हिमालय का क्षेत्र है, जड़ी–बूटियों के बारे में जो हमने कहा था, पादप बोर्ड बनाया था। हालांकि पिछली सरकार को समझ में नहीं आया है, वह जहां का तहां है और जड़ी–बूटी शोध संस्थान दीमक खा रहा था, हम शुरु करेंगे। इस सरकार में इच्छा शक्ति है और हम चाहेंगे कि जड़ी–बूटी पादप बोर्ड पूरा काम करे। इस प्रदेश को, किसानों को जड़ी–बूटी से जोड़ेंगे। यदि चीन जो केवल जड़ी–बूटी पर आधारित 20 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष अपनी आमदनी करता है तो यह चीन से किसी कीमत पर पीछे नहीं है, बल्कि यहां वे दुर्लभ जड़ी–बूटियां हैं, जो पूरी दुनिया में होती हैं, इसलिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का तत्काल शुभारम्भ होगा।

*श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक बात समझ नहीं आती कि जब आप स्वास्थ्य कहते हैं तो उधर खुजली क्यों होती है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हमारी कोशिश होगी कि इस प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाकर जड़ी–बूटी पादप बोर्ड और जो औषधि पादप बोर्ड बनाकर उसको और सक्रिय करके जो श्रीमन्, जड़ी–बूटी शोध संस्थायें हैं उसकी शाखाएं खोलकर के यह हम जरूर चाहेंगे कि इस प्रदेश को आयुष प्रदेश के रूप में दुनिया में विख्यात करेंगे। इस दिशा में यह सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। दुर्गम क्षेत्रों में मोबाईल चिकित्सक टीमों का गठन करके सरकार ने जो निर्णय लिया है वह बहुत ही सराहनीय है और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को। औद्योगिक विकास की दिशा में जो पैकेज माननीय अटल जी ने तैयार किया था उसका भी गला घोंट दिया, लेकिन इस सरकार ने कहा है कि यह विशेष औद्योगिक पैकेज है, इस पर तेजी से काम किया जाएगा और उद्योगों को केवल एक विशेष क्षेत्र नहीं बल्कि उसकी श्रृंखला होगी और जो पर्वतीय क्षेत्र से लेकर तराई का क्षेत्र है वहां पर कौन सी यूनिट जरूरी है, उसके लिए अध्ययन करके तेजी से विकास किया जायेगा। मान्यवर, फार्मासिटी की स्थापना होगी, आई0टी0 पार्क की बहुत तेजी से स्थापना करेंगे।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम बेरोजगारों को उनसे जोड़ेंगे और तेजी से उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको भी बढ़ावा देंगे चाहे बांस हो, रिंगाल हो। कहने में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कुटीर उद्योग से जुड़े हैं उनकी कला का ठीक–ठीक उपयोग हम करेंगे। इस राज्य की जनता के लिए, इसके उत्थान के लिए और उसको और उठाने के लिए सरकार को जो भी करना पड़ेगा सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। श्रीमन्, जो वन है और वन की जो उपज है उसका भी हम सही उपयोग करेंगे। मान्यवर, जो वन अधिनियम 1980 है, हालांकि यह भारत सरकार का कानून है, लेकिन सरकार ने यह कोशिश की है कि इसकी पुनर्समीक्षा के लिए निवेदन करेंगे और पर्वतीय क्षेत्र के लिए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई नया निर्देश हुआ है, उसी के आधार पर वन अधिनियम 1980 को पुनर्समीक्षा करवाने का अनुरोध करेंगे, ताकि यहां का जो जरूरी विकास है, वह हो सके।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह अधिनियम क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपको अलग से बता देंगे। मान्यवर, हिमाचल में जो जरूरी आवश्यक सेवाएं हैं जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है उसके लिए जो यहां पर 5 हे0 तक का प्राविधान है, हिमाचल में उसकी सीमा बहुत आगे बढ़ा दी है, इसके लिए भारत सरकार में हमें नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा करेंगे। इसीलिए हम वन अधिनियम की पुनर्समीक्षा करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कोशिश करेंगे। मान्यवर, चूंकि अधिकांश गांव वनों से घिरे हुए हैं। उनके हक-हकूकों की रक्षा और उनकी जो परेशानियां हैं, हमारी कोशिश होगी कि जो उनके हक-हकूक हैं वह उनको मिलने चाहिए। मान्यवर, वृक्षारोपण, सामुदायिक वानिकी को भी प्रोत्साहन सरकार देगी। यह बहुत बड़ा निर्णय है। श्रीमन्, औद्यानिकी के विषय में जहां हमने जड़ी-बूटी की आपूर्ति करने की बात की है। राज्य औषधि पादप बोर्ड की बात है। श्रीमन्, जहां रेशम की खेती की बात है, आज दुनिया का 62 प्रतिशत रेशम इस देश के अंदर बाहर से आता है। यदि उत्तरांचल को एक रेशम की घाटी के रूप में विकसित किया जाय तो देश का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु हो सकता है। मान्यवर, पुष्पोत्पादन यहां पर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर विभिन्न प्रकार के पुष्प उत्पादित किये जा सकते हैं। मान्यवर यहां पर एक ऐसा पुष्प भी है जो तोड़ने के बाद भी छः माह तक जीवित रहता है, ऐसा पुष्प हिमालय में ही उगता है। मान्यवर, संकर किस्म के बीजों का जिक्र भी इस सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, विज्ञान का छात्र हूं और विज्ञान के छात्र के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वह कौन सा पुष्प है जो तोड़ने के बाद भी छः माह तक जीवित रह सकता है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, आपने अभी बहुत सारी जानकारियां लेनी हैं, आपको पैकज के रूप में जानकारियां दी जायेंगी। आप नोट करते रहें। मान्यवर, संकर बीज का उत्पादन कम समय में, कम स्थान में, कम शक्ति से, कम पैसे से अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। मान्यवर, इस तरीके के सूत्र को भी हम तैयार करेंगे। मान्यवर, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित लघु उद्योगों को भी हमारी प्राथमिकता होगी। मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में भी किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों की सारी कठिनाईयों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। मान्यवर, जो धान की फसल है, आत्मनिर्भरता के बावजूद भी अभी इसमें बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं।

स्वैच्छिक चकबंदी के बारे में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में किसी का एक खेत इस किनारे रहता है तो दूसरा खेत दूसरे किनारे और तीसरा खेत कहीं और तीन-चार किलोमीटर की परिधि में रहता है। इससे अलग-अलग खेत होने से उनकी शक्ति और समय का अपव्यय होता है। मान्यवर, इस दिशा में एक बार मैंने और नेता प्रतिपक्ष माननीय हरक सिंह रावत जी ने 1984-85 में कोशिश की थी। चूंकि हम लोगों की कुछ परेशानियां थीं। मान्यवर, यह आवश्यक तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों की इच्छा हो और पारस्परिक सहमति हो, उसमें हम चकबंदी को लागू करेंगे।

श्रीमन्, कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने का भी इस सरकार का निर्णय है और पर्वतीय क्षेत्र में जो चारा है, ईंधन है, पानी है, यह जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, उनको भी कैसे करके और विकसित कर सकते हैं, इस पर भी पूरे तरीके से विचार किया जाएगा। यहां का जल, जंगल और जमीन, इन तीनों पर आधारित होकर

श्रीमन्, यहां की कृषि, यहां की उद्यानिकी, यहां की वानिकी, इन तीनों का समन्वय करने की हमारी प्राथमिकता होगी। सरकार की यह प्राथमिकता है। श्रीमन्, इसलिए इस सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, खेल की दिशा में हमारा सौभाग्य है कि साहसिक खेलों में बछेन्द्री पाल ने पूरी दुनिया में पहली महिला होने का सौभाग्य प्राप्त किया है और हमको भी गौरव दिया है। चाहे जसपाल राणा ने पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले निशानेबाज होने का गौरव हासिल कर हमारा माथा ऊँचा किया है और चाहे पद्मश्री कन्हैया लाल पोखरियाल जी हों, जिन्होंने कंचनजंघा और एवरेस्ट पर एक ही वर्ष में और 80 घण्टे तक गंगाजल को लेकर पूरी दुनिया का रिकार्ड तोड़ा हो। चाहे धोनी हों और चाहे जयन्ती बन्ख्वाल हों, हमारे पास ऐसी प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने इस पूरे उत्तरांचल का माथा बहुत ऊँचा किया है। राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर। श्रीमन्, हमारी कोशिश होगी कि हम जहां नवोदित खिलाड़ियों.........

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किशोर जी का भी नाम ले लीजिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

किशोर जी का भी नाम ले लें? (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह जो नाम अभी गिनाए गए हैं, आप ऐसे कह रहे हैं, जैसे भाजपा की देन हों सारे। इस तरह से गिना रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मुझे लगता है कि किशोर भाई मन से इधर नहीं बैठे हुए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि वे मन से भी इधर बैठें तो ज्यादा अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मन से और तन से इधर ही हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इधर ही हैं? (व्यवधान) श्रीमन्, मैंने यह कहा कि ये वो लोग हैं, जिन्होंने उत्तरांचल की धरती को सुशोभित करके पूरे देश और दुनिया में हमारे माथे को ऊँचा किया है। मैंने कतई नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको आगे किया और इसलिए मैंने जब यह कहा था कि यह राज्य वह राज्य है, जिसने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जैसे लोगों को दिया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह तो जसपाल राणा से पूछिए, आज उस बेचारे का हाल क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

आप ही ने तो खराब किया उसका हाल। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी संसदीय क्षेत्र से टिकट मांग रहा था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, 5 हजार रुपये का पैकेज दे रहे हैं। शर्म नहीं आयी, पिछली सरकार को। मैं बोलना नहीं चाहता, यह अवसर शायद नहीं है, यह बोलने का। अभी तो बहुत अवसर आएंगे किशोर भाई। लेकिन जसपाल राणा कितना दुःखी था, पिछली सरकार के रवैये से, मैं जान सकता हूं और इसलिए कोई किसी पार्टी का नहीं, प्रतिभा, प्रतिभा हुआ करती है और इसलिए जसपाल राणा ने इस देश का नाम, केवल उत्तरांचल का नाम नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसलिए हम उनको इस सरकार की ओर से बधाई भी देना चाहते हैं। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, हमारा गौरव है। बछेन्द्री पाल ने हमारे गौरव को बढ़ाया है। कन्हैया लाल पोखरियाल जी ने हमारे गौरव को बढ़ाया है। धोनी ने हमारे गौरव को बढ़ाया है। मैं तमाम नामों को सम्मिलित नहीं करना चाहता। एक लम्बी सूची है हमारे पास, जिन्होंने इस प्रदेश और देश के गौरव को बढ़ाया है। लेकिन इस सरकार की कोशिश होगी कि हम सबको सम्मानित करें। सबको सम्मान दिया जाएगा और जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, बिना भेद–भाव के उनको सम्मानित किया जाएगा। श्रीमन्, स्टेडियमों का निर्माण जरूर करेंगे हम और मण्डल स्तर पर खेल के जो विद्यालय हैं, उनकी स्थापना करने की भी इस सरकार की जो संकल्पना है, यह भी सराहनीय है। प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसमें किशोर भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी हैं।

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मुन्ना भी हैं, कहिए ना। (हंसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, दलित हैं, पिछड़े हैं, हमारे अल्पसंख्यक मित्र हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है। चाहे कर्मचारी वर्ग है, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इन सबका इस राज्य में सम्मान होगा। उसको इतना विश्वास तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद.........

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, भगत लोग शामिल हैं या नहीं? ये और बता दीजिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसमें राज्य के सभी लोग सम्मिलित हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शादी के बाद आप ज्यादा बोलने लगे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, दलित और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की विशेष योजना बनाएंगे और उनके सामाजिक उत्थान के लिए यह सरकार विशेष प्रयास करेगी। श्रीमन्, महिलाओं के लिए भी अलग से योजना बनाने की इस सरकार ने जो इस अभिभाषण में अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त की है, इसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। निर्धन और बेसहारा लोगों को बसाने का काम यह सरकार करने जा रही है। वहीं महिलाओं को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वोपरि रखकर, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो महिलायें हैं, जिनका समय 24 घंटे में से 20 घंटा सिर्फ चारा, लकड़ी और पानी में ही खत्म हो जाता है, उनके लिए सरकार एक तो निःशुल्क गैस कनेक्शन की व्यवस्था करने का यथासम्भव प्रयास करने जा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के उपचार के लिए तहसील स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधा सरकार करेगी और विकास की नई योजनायें बनाकर महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद के अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

जब आपका भी समर्थन हमें मिल जायेगा तो इस पर भी विचार कर लिया जायेगा। मान्यवर, यह राज्य पूर्व सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है।...............

श्री शहजाद-

मान्यवर, यह रसोई गैस की व्यवस्था हरिद्वार जनपद के लिए भी है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं, वहां की महिलाओं के लिए यह व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमन्, यह पूर्व सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, आज भी इस राज्य के प्रत्येक परिवार से लगभग एक व्यक्ति देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात है। मान्यवर, आज आप प्रदेश में पूर्व सैनिकों को देखें तो पायेंगे कि जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर से लेकर कर्नल आपको हर जगह मिल जायेंगे और आप सब जगहों पर सैनिक ही सैनिक पायेंगे। यह हमारा सौभाग्य भी है और देश की थाती भी है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि देशभक्ति का जज्बा हमारे यहां पर कितना है। आज भी यहां का नौजवान देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होकर अपने जीवन को देश की रक्षा में समर्पित करने के लिए लालायित रहता है। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य के पूर्व सैनिकों को उपयुक्त सम्मान दिया जायेगा, पूर्व सैनिकों की विकास में भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा जिससे उनकी शक्ति, उनकी कर्तव्यनिष्ठा व अनुशासन का समाज के हित में उपयोग हो पायेगा। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना हम जल्दी ही बनायेंगे। इसके साथ ही वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सभी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को यथेष्ठ सहायता देने का प्रयास भी हमारी सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। यह कोई छोटा काम नहीं है, यह बहुत बड़ा काम है, इससे उन उपक्रमों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी एक आधार भी खड़ा होगा। इस प्रकार से पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए हमारी सरकार ने जो 2-3 यह प्रयास किये हैं, मैं उसके लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूं।

श्रीमन्, संस्कृति और लोक कला के क्षेत्र में भी उत्तरांचल अग्रणी रहा है, चाहे वे श्री सुमित्रानन्दन पंत हों या शिवानी जी हों और चाहे डा0 शिवानन्द नौटियाल हों या शिव प्रसाद डबराल हों या शैलेश मटियानी जी हों, हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र से हमने पूरे देश ही नहीं दुनिया को सांस्कृतिक विभूतियां दी हैं, कलाकार दिये हैं जिन्होंने

हमारा माथा गर्व से ऊंचा किया है। मान्यवर, इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए हमारी सरकार कारगर कदम उठायेगी। श्रीमन्, उत्तराखण्ड की विलुप्त हो रही कला, संस्कृति, लोक कलाओं और वाद्य यन्त्रों को पुनर्जीवित करने और उनका संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। जो हमारी असली परम्परा है, उसे जीवित करेंगे और मान्यवर, संस्कृति और कला के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए कारगर कदम हमारी सरकार उठायेगी।

मान्यवर, पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत किस्म की नस्लों और प्रजातियों का संरक्षण जो नहीं हो पा रहा है, उनका संरक्षण करके, उनकी गुणवत्ता में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, यह तीन महत्वपूर्ण योजनायें हैं और जो पशु पालक हैं उनको चिकित्सा सुविधा देने के लिए सचल चिकित्सक वाहनों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का जो अनूठा प्रयास हमारी सरकार करेगी, वह वास्तव में एक अद्भुत कार्य है। मान्यवर, चारा बैंक की स्थापना हो, और चाहे पशु पालकों के लिए सचल चिकित्सा दल का गठन हो, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये सरकार करने जा रही है।

श्रीमन्, पेयजल की बहुत समस्याएं हैं और जैसा कि श्रीमन, आपके संज्ञान में है कि आग लगने से, भूकम्प आने से और तमाम दैवी आपदाओं के कारण जो हमारे असली स्रोत थे, वे सूखते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है क्योंकि दूरस्थ गांवों में मुझे मालूम है श्रीमन्, एक जगह तो 60 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ा था। 60 किलोमीटर दूर दूसरे पहाड़ से पानी लाना पड़ा था और इसीलिए निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, सभी की चिंता का विषय है, उत्तरांचल की चिंता का विषय है। श्रीमन्, और इसलिए सरकार जल संरक्षण और संवर्धन दोनों दिशाओं में ठोस कोई कार्यक्रम बनाना चाहती है, कोई ऐसी योजना बनाना चाहती है। हमने यह चाहा है कि हमारे जो नौले हैं, चालें हैं, ये जितने भी चालें हैं, खाले हैं और जो बरसात का पानी है श्रीमन्, उसके लिए भी कोई ठोस योजना हम बनाना चाहते हैं ताकि पानी संरक्षित हो सके और कृत्रिम जलाशय और झील के माध्यम से भी सम्भावनाओं को तलाशने की हमारी कोशिश है। महिलाओं का आधा जीवन श्रीमन, 5–5, 7–7 किलोमीटर दूर से आज भी महिलाएं सिर पर पानी ढोती हैं। हालांकि यह शहरों में भी श्रीमन्, हो रहा है और विशेषकर पिछली सरकार ने तो पानी देना भी बंद कर दिया था।

श्रीमन्, शहरी और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश की है और नगरीय क्षेत्र के समुचित विकास हेतु जो सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो शहरों का विकास करने की महत्वाकांक्षी योजना बनी है वह भी मैं सोचता हूं कि शहरों के मास्टर प्लान की महत्वाकांक्षी योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से शौचालय बनाने पर भी सरकार जोर देगी और लोगों की स्वच्छता में सीधी–सीधी सहभागिता के लिए जन जागरण अभियान भी चलायेगी। श्रीमन्, गंगा को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। श्रीमन्, गंगा का जल अमृत जल है और मैं सोचता हूं कि यह जो गंगा का जल है यह तमाम व्याधियों को नष्ट करता है और गंगा का जल श्रीमन्, ग्लेशियर पीछे, गोमुख से पीछे जा रहा है और दूसरी ओर

गंगा प्रदूषण से युक्त हो रही है, ये दोनों चिंताएं श्रीमन्, वह चाहे हम सदस्य इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों और चाहे वे यहां न हों कोई लेकिन (व्यवधान)।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, और जो बीच में बैठे हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, विपक्ष तो यही है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

लेकिन श्रीमन्, यह बहुत चिंता का विषय है और इसलिए यह सरकार (व्यवधान) इसलिए श्रीमन्, यह सरकार गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसके लिए जो भी महत्वाकांक्षी योजना सरकार को बनानी पड़ेगी, हम उस दिशा में भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे और सरकार को जो कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए निश्चित रूप में सरकार कटिबद्ध है। श्रीमन्, फिल्म उद्योग, जो राज्य का नैसर्गिक सौन्दर्य है, उसका हम व्यवस्थित उपयोग नहीं कर सके। मुझे याद आता है श्रीमन्, जब हम उत्तर प्रदेश में थे उस समय उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का, जब यह संयुक्त प्रदेश में था तब ऋषिकेश से मसूरी तक हमने, उस समय मेरे पास उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय था और जब फिल्म उद्योग से जुड़े 5–6 लोग दो दिन के लिए हैलीकाप्टर लेकर श्रीमन्, इधर आये थे और श्रीमन्, उन्होंने जाकर सरकार को जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा हमने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन जितने अद्‌भुत और नैसर्गिक सौन्दर्य के स्थान हमको उत्तरांचल में मिले ऐसे दुनिया में कहीं नहीं मिले। इसलिए उस समय यह निर्णय हुआ था कि ऋषिकेश से लेकर मसूरी तक के क्षेत्रों को फिल्म उद्योग के रूप में विकसित किया जायेगा। पिछली बार शायद बोर्ड भी बनाया गया था।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, बोर्ड नहीं बनाया, बोर्ड का अध्यक्ष बनाया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अब हमको बताया गया, हमने तो अखबारों में पढ़ा, हमारे सदस्य कह रहे हैं बोर्ड का अध्यक्ष बना था बोर्ड नहीं बना था। हम चाहेंगे कि अगर नहीं बना है तो उसको बनायेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे ताकि उत्तरांचल को हम अद्‌भुत नैसर्गिक सौन्दर्य का, पूरी दुनियां में आकर्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र बना सकेंगे। मान्यवर, सूचना मीडिया की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की परिस्थितियों में जबकि एक–एक मिनट की सूचनायें जिससे पूरी दिनचर्या चल रही है ऐसे समय में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारी सरकार की कोशिश होगी कि इसको और प्रभावी संवाद और समन्वय के बीच इसे रखा जाय, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पत्रकार कल्याण की योजनाओं को रखने का जो संकल्प रखा है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों और गतिविधियों को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कम्प्यूटरीकृत करने की जो योजना बनायी है, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आई0टी0पार्क और थीम पार्क की योजनायें बनायी हैं और ज़िस दिन थीम पार्क बनेंगे उस दिन प्रदेश की कायापलट हो जायेगी, इससे बेरोजगारों को लगेगा कि हमारे हाथ कोई योग्यता लगी है और कोई हाथ खाली नहीं रहेगा। सरकार की जो पहली प्राथमिकता है उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन, प्रशासन का जो विषय होता है कि स्वच्छ प्रशासन बने क्योंकि प्रशासन संवेदनशील होता है, समस्या का समाधान हो जाता है और ऐसा लगता है जब तक प्रशासन में संवेदनहीनता होती है, समस्याओं का अम्बार लगता है। इस सरकार की कोशिश है कि इस सरकार को संवदेनशील बनायें, सतर्कतातंत्र को सुदृढ बनायेंगे और स्वच्छ प्रशासन देंगे।

भ्रष्टाचार घोटालों से रहित संवेदनशील प्रशासन देना इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। अभी तो बीच का धुन्ध हटते-हटते समय लगेगा। हम आश्वस्त कर रहे हैं कि श्रीमन्, क्योंकि प्रदेश का आम व्यक्ति इस लुन्ज पुन्ज प्रशासन, गैर जिम्मेदाराना रवैये से दुःखी था, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है कि संवेदनशील जवाबदेह प्रशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, तब इस प्रदेश को जाकर लगेगा कि परिवर्तन इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। जनता के प्रति जबाबदेही जरूर बनना चाहेगा। श्रीमन्, जो राजस्व है यदि ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल के कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाये तो 70 प्रतिशत ये जो राजस्व पुलिस के आधार पर व्यवस्था है, हम व्यक्तिगत रूप से इस बात के हिमायती रहे हैं, वहां पर इन थानों को न थोपा जाये इसलिए हम इसको सशक्त बनाना चाहते हैं जिससे कि राजस्व पुलिस बेहतर काम कर सके। राजस्व के क्षेत्र में कम्प्यूटर भू-लेख प्रबन्धन और बेहतर करना यह सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमन्, आपदा प्रबन्धन में कई लोगों ने अपने-अपने आपदाओं के प्रबन्धन किये, आपदा प्रबन्धन केवल निजी प्रबन्धन हो कर रह गया, इसलिए हमारी कोशिश होगी इस राज्य के हित में।

मान्यवर, हमारी कोशिश होगी, क्योंकि बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री में पूरे देश, दुनिया से तीर्थयात्री आते हैं जब एक्सीडेन्ट होते हैं, दुर्घटनायें होती हैं और बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें होती हैं।

श्री तिलक राज बेहड़-

आपदा मंत्री पर आपदा आ रही है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल''निशंक''-

श्रीमन्, हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे, इसमें हम एक-एक को जिम्मेदारी नहीं देंगे, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी होगी, तो ज्यादा पारदर्शिता हो सकेगी और टास्क फोर्स का गठन इस दिशा में करने का प्रयास है (व्यवधान) श्रीमन्, सड़क और परिवहन की दिशा में टास्क फोर्स, श्रीमन्, आपदा प्रबन्धन की दिशा में मैं विस्तारपूर्वक नहीं जाना चाहता, क्योंकि लगभग एक घण्टा होने वाला है, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करना चाहूंगा। लेकिन श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है और सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। सैकड़ों जाने बचाने के लिए इस आपदा प्रबन्धन का गठन हुआ था, लेकिन

यदि पीछे के 5 वर्षों का आकलन करके देखें तो एक उदाहरण नहीं दे सकती है सरकार। 50 लोग डूब रहे हैं। लेकिन रस्सा लेकर कोई 10 घण्टे बाद जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस सरकार ने यह इच्छा शक्ति व्यक्त की है। आपदा प्रबन्धन की दिशा में टास्क फोर्स का गठन करके घण्टों और मिनटों के हिसाब से आपदा में राहत दी जायेगी, यह सरकार की पहली प्राथमिकता होगी।

सड़क और परिवहन की दिशा में (व्यवधान) श्रीमन्, सड़क और परिवहन में यातायात का जो प्रबन्धन है बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊँ को जोड़ने वाली बीच की जो आज भी सड़क है वह पांच वर्ष बाद भी सरकार की कमजोरी के कारण कमजोर इच्छाशक्ति का शिकार हुई है और इसलिए सड़क और परिवहन की दिशा में सुधार नहीं हो सका है (व्यवधान) यह तो ग्रामीण सड़क रोजगार योजना में तय है कि राज्य का लगभग दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपये का लक्ष्य कर दिया है। इस राज्य की महत्वाकांक्षी इन योजनाओं का गला घोटने का काम किया पिछली सरकार ने। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, इससे हमारे मित्रों को कष्ट भी होगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपया बरबाद कर दिया है, उसका उपयोग ही नहीं किया वो वापस चला गया और इसलिए यह सरकार पूरी तरीके से इसका लाभ लेगी, गांव को सड़कों से जोड़ेगी, बेहतर यातायात की व्यवस्था करेगी। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि बड़े हास और परिहास के साथ राज्यपाल का अभिभाषण जो दिया गया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रकट करते हुये माननीय निशंक जी अपनी बात रख रहे हैं और विपक्ष के माननीय सदस्यगण जिस प्रकार से वे यहां पर शोर मचाते थे अब विपक्ष में रहकर भी वे वही भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जब कोई माननीय सदस्य किसी बात को रख रहा हो तो उसको गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि उत्तरांचल की जनता को इस सदन का लाभ मिल सके (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा था अभी यह चर्चा हो रही थी पहले साढू भाई और क्या–क्या (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसके बाद में कर लीजिएगा, पहले इसको निपटा लीजिए। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जो परिवहन की दिशा में यात्रा है उसको भी हम चाहते हैं कि सस्ती परिवहन यात्रा सुलभ कराई जाए और सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। श्रीमन्, सिंचाई की जो योजनाएं अधर में लटकी हैं, सरकार कोशिश करेगी कि सिंचाई का जितना भी हो और विस्तार किया जाए, उसका तो विस्तार करना ही है लेकिन जो अधर में लटकी परियोजनाएं हैं उनको शीघ्र पूरा करना है।

श्रीमन्, महंगाई, जिसने आम जनता को ग्रस लिया है। इस मंहगाई ने आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें डाली हैं। श्रीमन्, इसलिए इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में ताकत के साथ इस बात को समाहित किया गया है कि यह सरकार महंगाई पर नियंत्रण करेगी। श्रीमन्, हमारे यहां जो बी0पी0एल0 सर्वेक्षण हुआ है उनमें उन लोगों के नाम आ गए हैं जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते ही नहीं, वे बी0पी0एल0 में आ गए। हमारी सरकार इस संबंध में भारत सरकार से अनुरोध करेगी और हम इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे और जो लोग इसके हकदार हैं उनको प्राथमिकता पर बी0पी0एल0 श्रेणी में सम्मिलित करवाने की कोशिश करेंगे। जो यह पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसके हम लोग भी हिमायती हैं और इस सरकार ने पंचायतों को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए पंचायत भवनों का निर्माण, गुणवत्ता पर नजर रखना, निर्माण कार्यों पर भी नजर रखना। पहले गुणवत्ता नहीं है और विकास कार्य हो रहे थे, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं पहली सरकार को मालूम ही नहीं था। इसलिए यह पहली आवश्यकता होगी कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उसके लिए बढ़िया कार्यक्रम कराया जायेगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, चाहे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इन्दिरा आवास हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी इस राज्य को आवश्यकता है हम बहुत तेजी से इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे ताकि जिनके लिए योजनाएं बनी हैं उसको बेहतर तरीके से सुविधा मिल सके।

श्रीमन्, मुझे कहना है कानून व्यवस्था के बारे में। श्रीमन्, यह अपराध विहीन राज्य था उसको अपराधग्रस्त राज्य करने में कोई कसर पिछली सरकार ने नहीं छोड़ी है और जहां मैंने कहा कि शायद देश की आजादी के बाद यह पहला राज्य होगा जहां सबसे कम समय में अधिक अपराध हुआ है। दूसरी बात, जितना मैंने अध्ययन किया कि देश की आजादी के बाद, तय है इतने कम समय में यह अपराधग्रस्त राज्य हुआ है जिसमें ताबड़तोड़ लूट, हत्याएं, डकैती और बलात्कार हुए हैं। इसलिए शर्म का विषय है क्योंकि यह देवभूमि है यह चिन्ता का विषय है। हमारी कोशिश होगी कि इस राज्य को अपराधविहीन राज्य कर सकें। सभी लोगों का इसमें सहयोग अपेक्षित है। श्रीमन्, मानव संसाधन के संवर्धन और उसके विकास की दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। स्वयंसेवकों को और अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। राजस्व पुलिस को और अधिक प्रशिक्षित करेंगे। श्रीमन, अपराध तो अपराध होता है न वह किसी धर्म का होता है।

श्रीमन्, जिन लोगों का चयन होगा, सुरक्षा की दृष्टि से उन सभी स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित कराया जायेगा और इसलिए मैं चाहूंगा, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को, आदरणीय जनरल खण्डूड़ी जी के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार इच्छाशक्ति की सरकार है, यह सरकार दिशा का भी निर्धारण करेगी और जो दशा खराब की है लोगों ने, उस दशा को भी ठीक करेगी। दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करेगी और मेरा भरोसा है कि यह सरकार पूरे 5 साल में स्थायित्व देकर के नई दिशा का संचार करेगी।

मैं एक बार पुनः सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूं और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो मुझे कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देने का आदेश दिया उसके प्रति भी और मैं आपके प्रति भी आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बिशन सिंह चुफाल –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तराखण्ड राज्य के द्वितीय विधानसभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल द्वारा रखो गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे माननीय डा0 रमेश पोखरियाल जी द्वारा रखा गया, प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो प्रस्तुत किया गया उससे इस प्रदेश की दिशा इससे आगे बढ़ेगी। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का गठन इसलिए किया गया कि उत्तरांचल राज्य एक शक्तिशाली राज्य बने, एक स्वावलम्बी राज्य बने और एक आदर्श राज्य बने, इसीलिए उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। आज हमारी सरकार ने अपने अभिभाषण में उत्तरांचल राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और जनता की पारदर्शिता, समुचित विकास के लिए जो आज हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक पर्यटन के क्षेत्र में आज उत्तराखण्ड में अनेक सम्भावनायें हैं, इसीलिए आज उत्तराखण्ड में जो हमारे पर्यटक हैं, हर वर्ष उसके जो देशी और विदेशी पर्यटक हैं, उनकी संख्या दुगुनी-तिगुनी बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक आलपस पर्वत एक चुम्बक की भांति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार उत्तराखण्ड में अनेक पर्वतीय श्रृंखलायें हैं जो पर्यटकों को चुम्बक की तरह अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आज जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में विश्व में अद्‌भुत चीजें हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से पाताल भुवनेश्वर हमारा एक अद्‌भुत चीज है उसका प्रचार-प्रसार है और पर्यटन के नक्शे में है, उसी प्रकार से अनेक पर्यटन स्थल हैं, अद्‌भुत गुफाऐं हैं। उदाहरण के लिए जनपद पिथौरागढ में बेरीनाग तहसील में एक झीनिया गुफा है जो विश्व में अद्‌भुत है। 50 मीटर में फैली हुई गुफा है जिसमें साल भर बरसात जैसा पानी गिरता रहता है।

मान्यवर, गर्मी में वहां पर 100 मीटर की परिधि में ठण्डी हवा और जाड़ों के समय में गर्म हवा चलती है। मान्यवर, यहां पर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आज भी पर्यटक वहां जाते हैं। सरकार ने अपने अभिभाषण में जहां-जहां ऐसे पर्यटक स्थल हैं, उनके लिए व्यवस्था की है इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछली सरकार ने शिक्षा के बारे में वाहवाही लूटने के लिए विद्यालयों का उच्चीकरण किया। स्कूलों के बोर्ड लग गये, स्कूलों में एडमीशन भी हो गये, लेकिन वहां पर अध्यापकों की भर्तियां नहीं हुई। जिन छात्रों ने इन स्कूलों में एडमीशन लिया उनका भविष्य अधर में है, चूंकि यहां पर अध्यापक नहीं हैं। मान्यवर, मेरी सरकार की यह प्राथमिकता है कि ऐसे विद्यालय चाहे जूनियर हाईस्कूल हों, हाई स्कूल हों, इंटर कालेज हों, इनमें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां की जायेंगी, चाहे ये प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हों, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, शिक्षा के भवनों

के बारे में विशेषकर जी0जी0आई0सी0 के बारे में कहना चाहता हूं कि इनके जो भवन हैं, इनको भी ठीक किया जायेगा। मान्यवर, ब्लाक स्तर, तहसील स्तर पर जिन भवनों में कक्ष नहीं हैं, उनके लिए अतिरिक्त कक्ष स्थापित किये जायेंगे। मान्यवर, जो जर्जर भवन हैं, उनका निर्माण हमारी सरकार द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, जिन विद्यालयों में कक्ष नहीं होंगे वहां पर कक्षों की स्थापना की जायेगी, यह भी सरकार की योजना है। मान्यवर, जहां तक बालिकाओं के लिए स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने का जो हमारी सरकार का प्रयास है इसके लिए धन्यवाद, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है।

मान्यवर, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो दूरदराज के गांवों में, ब्लाक स्तर पर, तहसील स्तर पर जहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर डाक्टर उपलब्ध कराये जायेंगे। जहां तक मोबाईल टीम दूरदराज के गांवों में भेजने का प्रस्ताव है तो इसके लिए भी सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जहां तक वन का सवाल है तो यहां पर लोगों को लकड़ी मिलती थी, लेकिन बीच में बन्द होने से हमारी सरकार ने जो हक–हकूक देने की कोशिश की है। इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद। मान्यवर, जहां तक, वन अधिनियम 1980 की बात है तो 1995 में जब यह लागू हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। हिमाचल प्रदेश और अन्य पूर्वी प्रदेशों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उस पर बाद में निर्णय आया और निर्णय आने से वहां पर विकास कार्य हुए। लेकिन हमारी सरकार ने 1980 के सरलीकरण की योजना बनायी है। मान्यवर, 1980 के वन अधिनियम के कारण हमारे प्रदेश के जो सड़कें पांच वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थीं, उन पर भारत सरकार की स्वीकृति न मिलने के कारण वह अधूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें हमें भारत सरकार से स्वीकृति नहीं मिली। मान्यवर, इनमें विशेषकर हिमालय से लगे जो गांव थे, आज वे खाली हो गये हैं, क्योंकि वहां पर विकास कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, जहां ये गांव देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े रहते थे, आज वे खाली हो गये हैं। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट रेंज है यहां पर नेपाल और तिब्बत से लगी हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर आज सारा विकास कार्य रुका हुआ है। मान्यवर, 10 हजार मीटर तक की ऊंचाई की रेंज में कस्तूरी मृग पाये जाते हैं। मान्यवर, एक साल से गौरी गंगा, रामगंगा तट पर विद्युत योजना रुकी पड़ी हैं। मान्यवर, इसके लिए भी सरकार ने जो प्रयास किये हैं, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक जड़ी–बूटी का सवाल है।

श्री तिलक राज बेहड़–

अब आ गए अपनी बात पर। (व्यवधान) पड़ोस वालों को जड़ी–बूटी जरूर देते रहना, बहुत समय से मिली नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इसको डिनोटीफाई करेंगे कि कस्तूरी मृग विहार कहां पर हैं। उनकी बात से लग रहा है.........(व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसमें जो कार्यवाही हुई है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी अभिभाषण में आपकी और भी जिज्ञासाएं होंगी, जब आपको बोलने का अवसर मिलेगा तो उसमें कह लीजिएगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, खेती है। आज लोगों ने खेती करना बन्द कर दिया है। जंगली जानवर इतने अधिक हो गये हैं कि वह खेती को नष्ट कर देते हैं। सरकार की जो योजना है कि जिन क्षेत्रों में कृषि नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर जड़ी–बूटी की खेती की जाए, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी जड़ी–बूटियां हैं, जिनका दोहन हो रहा है और सरकार को उसका राजस्व नहीं मिल रहा है। अवैध रूप से नेपाल के रास्ते तिब्बत और चीन जा रही हैं। इसको रोकने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

जहां तक पेयजल की बात है। हमारे यहां पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल के स्रोत दिन–प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए जो हमारे धारे–नौले पुराने थे, जो झीलें थीं, उनका जीर्णोद्धार करने की हमारी सरकार की योजना है इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक पानी की समस्या की बात है, हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं, जहां पर पेयजल की समस्या है, वहां पर लिफ्ट पेयजल योजना के माध्यम से पानी देने की हमारी सरकार की जो योजना है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सिंचाई की बात है। जो नहरें मानसून के कारण डैमेज हो गयी हैं, उनके लिए दैवीय आपदा कोष से पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जो भी क्षतिग्रस्त नहरें हैं, उनका जीर्णोद्धार करके नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, पहले आपदा प्रबन्धन का कोई विभाग नहीं था। जब हमारी सरकार बनी तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई आपदा प्रबन्धन विभाग बनाया गया। लेकिन पिछली सरकार ने आपदा का पैसा पेयजल, सड़कों और पुलों में खर्च न करके अन्य जगह पर भवनों के निर्माण में और सड़कों के चौड़ीकरण में किया था। हमारी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में दैवीय आपदा आयी है, वहां पर इस पैसे को खर्च किया जाए। (व्यवधान) हमको तो 25 लाख ही मिलते हैं। जहां पर जरूरत थी, वहीं पर इनको खर्च किया। जिनको 5 करोड़ मिले हैं, जिनको 8–8 करोड़ मिले हैं, उनकी बात कह रहा हूं। वह पैसा गलत रूप से प्रयुक्त हुआ। वास्तव में क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक करने के लिए वह पैसा खर्च करना चाहिए। बी0पी0एल0 के बारे में कहना चाहता हूं। देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है, लेकिन जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते हैं, उनको इसमें नहीं लिया। हमारी सरकार की योजना है कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के साथ बी0डी0ओ0 को भी इसमें शामिल किया जाए तथा जो परिवार छूट गए हैं, उनको भी बी0पी0एल0 में सम्मिलित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, सुरक्षा, विशेषकर हमारे उत्तराखण्ड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमायें नेपाल, चीन और तिब्बत से मिली हैं और नेपाल में विशेष रूप से जैसे माओवादी समस्या बनी हुई है और वहां से हमारे देश और प्रदेश में घुसपैठ होती थी तो कालापानी से लेकर बनबसा, खटीमा और टनकपुर तक जहां तक काली नदी देश की सीमा को विभाजित करती है और टनकपुर के आगे से उसे शारदा के नाम से जाना जाता है, जो वहां तक की खुली सीमायें हैं। हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि स्वयं भी देश की सेवा में रहे हैं, हमारे राज्य के मुखिया होने के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय सीमायें हैं, वहां पर इस राज्य के लोगों, होमगार्ड के जवानों और विशेष रूप से इस सीमान्त क्षेत्र के निवासियों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। नेपाल से जो घुसपैठ यहां हो रही है उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। इस प्रकार से जो बॉर्डर डेवलपमेंट फंड का पैसा था, जो पहले नहीं मिलता था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसे शुरू किया था, उसे लागू किया है।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य को इतना पसीना क्यों आ रहा है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह पसीना तो कोट पहनने से आ रहा है। मैं सरकार को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और जितने भी बिन्दु इस अभिभाषण में हैं, मैं उनका समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः–"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है, कुम्भ मेले का उल्लेख, जवाहर लाल नेहरु युनिवर्सिटीज ऑफ रुरल मैनेजमेंट का उल्लेख, छठे वेतन आयोग का गठन किये जाने, राज्य में कार्यरत दैनिक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितिकरण किये जाने, जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण में सीमान्त विकास प्राधिकरण के गठन किये जाने, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व पुलिस का गठन किये जाने, राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर विचार किये जाने, कर्मचारी समन्वय परिषद् का गठन किये जाने, राज्य में विधान परिषद् का गठन किये जाने, प्रदेश में किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने, प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष 2008 तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में।"

श्री अध्यक्ष–

शेष जो संशोधन आये हैं वे प्रस्तुत किये माने जायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 2002 में जब हम सरकार में आये थे, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड की जनता ने जनादेश देकर हमारी सरकार बनायी थी, उससे पूर्व 2001–02 में जो वार्षिक विकास की दर थी वह 5.44 प्रतिशत थी और आज हमने जब सरकार छोड़ी है 2005–06 में यह दर बढ़कर 11.24 प्रतिशत हो गई है। वहीं जहां 2001–02 में इस उत्तराखण्ड का वार्षिक बजट 1050 करोड़ रुपये था वहीं हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी के जिनके सहयोग से हमने वार्षिक बजट को बढ़ाने में एक करोड़, दो करोड़, 100 करोड़ नहीं, 1050 से बढ़ाकर 4 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक बजट किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी का अपने सभी सदस्यों की ओर से आभारी हूं कि उन्होंने इसे बढ़ाने में सहयोग किया है।

आज 11वीं पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है। इस योजना का उल्लेख महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं नहीं है, इसका विस्तृत उल्लेख नहीं है। वहीं मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि जब वे 19 अक्टूबर, 2006 को हरिद्वार, देहरादून की यात्रा पर आये थे तो उन्होंने 18 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। पेयजल, आंगनबाड़ी आदि के लिए पैकेज की घोषणा की थी, वहीं मान्यवर, कुम्भ मेले के आयोजन के लिए जो 2010 में आयोजित किया जायेगा,उसके लिए भी भारत सरकार ने 100 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी जिससे 2007–08 में कार्य किया जाना प्रारम्भ होना है। लेकिन इसका उल्लेख भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े आंकड़े दिये गये कि वित्तीय घाटा हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने जो विकास दर को बढ़ाया है और केवल इस प्रदेश में नहीं बढ़ाया है क्योंकि जब देश की विकास की दर बढ़ती है तो उसका असर उत्तराखण्ड पर भी पड़ेगा। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने से पहले विकास की दर 7 प्रतिशत थी और माननीय मनमोहन जी की सरकार आने के बाद यह 9 प्रतिशत हुई है।

मान्यवर, आज पूरे हिन्दुस्तान की विकास की दर बढ़ी है तो उसका सीधा असर अपने उत्तराखण्ड पर पड़ा है और इसलिए यह जो हमारी सरकार ने, जब हम सरकार में थे, हमने विकास के कार्यों को द्रुतगति दी है उसकी सराहना की जानी चाहिए। जो चहुंमुखी विकास हमारी सरकार ने किया है, मैं तो कहना चाहता हूं कि हमने विकास का भव्य भवन नहीं बनाया है विकास की मजबूत नींव हमने इस प्रदेश में रखी है। गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने की कोशिश की, जहां कच्ची सड़क थी उसे पक्का करने की कोशिश की है, जहां पर पक्की सड़कें हैं उनको हॉटमिक्स किया है। पेयजल के बारे में हमने भैरवगढ़ी पम्पिग योजना को 30 करोड़ की स्वीकृति दी है वहीं हैण्डपम्पों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहां पानी नहीं था वहां पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो उल्लेखनीय कार्य हमारी सरकार में हुए हैं क्योंकि निशंक जी ने जिक्र किया इसलिए मुझे कहना आवश्यक हो गया है, क्योंकि एक परम्परा सी है जब जो सरकार आती है पहले यह कहने लगती है कि जो पिछली सरकार ने काम किये हैं वह बिल्कुल बेकार काम थे। आप सरकार में थे, हमारी सरकार थी हम चुनाव में गये थे, आप से दो ज्यादा जीत कर आये।

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है, मैं विशेषकर बिन्दु उल्लेख करना चाहता हूँ, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के हमारे साथी बैठे हैं मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ जो स्थाई राजधानी का मुद्दा था उसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं नहीं है। हम एक साल के अन्दर, दो साल के अन्दर एक समयबद्ध योजना के तहत हम इसको कर देंगे यह हमें बतायें। आपकी सरकार के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, हम जनता की अदालत में जा चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप ठीक करें हम आपको गलत करने नहीं देंगे। अब मान्यवर, राजधानी का मुद्दा कोई छोटा–मोटा नहीं है, उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। आपकी सरकार ने आयोग का गठन किया और हमने उसका विस्तार किया। मान्यवर, इसमें कहीं पर भी राजधानी का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस राज्य की स्थायी राजधानी कहाँ बनाना चाहते हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। मान्यवर, यदि सरकार द्वारा इस पर कोई विचार किया जा रहा है, तो इसका जिक्र इसमें आना चाहिए था। मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण बिन्दु पर कुछ भी नहीं कहा गया है, जो कि एक सोचनीय विषय है। मान्यवर, क्या स्थायी राजधानी देहरादून में ही रहेगी या श्रीनगर में या गैरसैंण में या रामनगर में इसका स्पष्ट उल्लेख महामहिम के अभिभाषण में होना चाहिए था। मान्यवर, क्या यह देहरादून में ही अस्थायी राजधानी बनी रहेगी, इसके बारे में इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड के विकास के लिए कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यहाँ पर कितने विकास खण्ड हों, कितनी तहसील हों, कितनी न्याय पंचायतें हों, कितनी छावनियाँ हों। मान्यवर, जिले बनाने की बात का जिक्र भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिए था, परन्तु इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि ऐसे में इस प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। मान्यवर, छोटी इकाईयाँ बनें, जिले हों, पंचायतें हों तथा प्रदेश का विकास हो सकेगा, यही पंचायती राज की अवधारणा थी। मान्यवर, रानीखेत जिले की माँग हो या अन्य जिलों की माँग हो या अन्य विकास खण्डों की माँग हो, इसको भी महामहिम के अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य के कर्मचारियों के बंटवारे की माँग का था। मान्यवर, कर्मचारियों को प्रोन्नति कैसे दी जायेगी, इसका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। हमने आपका घोषणा पत्र भी पढ़ा है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निंशक'–

श्रीमन्, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें समाहित हैं हम अभिभाषण पर बात कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दूरस्थ क्षेत्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं जैसे आर्मी के लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आरक्षण होता है। ऐसे ही दूरस्थ क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्र में जो कर्मचारी काम कर रहा है चाहे वह वन विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके

परिवार के लिए फैमिली क्वार्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग अपने साथ परिवार नहीं रख सकते इसलिए इनके लिए जिला मुख्यालयों में या राजधानी में आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, दूसरा कर्मचारियों के जो सेवा से सम्बन्धित मामले होते हैं उनके निस्तारण के लिए समयबद्ध योजना का उल्लेख होना चाहिए। जो सेवा विसंगतियाँ हैं उनके समयबद्ध तरीके से उनके निस्तारण करने का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है।

मान्यवर, अभी माननीय निंशक जी ने आपदा से सम्बन्धित बातें कीं। मान्यवर, हमारा पूरा उत्तराखण्ड राज्य जोन–5 व जोन–4 के अन्तर्गत आता है जोन–5 सबसे सेन्सटिव जोन होता है। हमारे अधिकांश क्षेत्र जोन–5 में आते हैं। तराई का क्षेत्र जोन–4 में आता है। हम इसका अध्ययन करने के लिए न्यूजीलैण्ड गए थे। वहाँ पर सरकार ने हर घर को बीमित किया है। वहाँ की सरकार कुछ पैसा जिसका घर है उससे, और कुछ सरकार अपनी तरफ से देकर वहाँ के आवासों को बीमित कराती है। यह सुविधा यहाँ पर भी लागू की जानी चाहिए। चूँकि आपदा कब, कहाँ और किसके ऊपर आ जाए किसी को नहीं पता।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आप विदेश गये थे मंत्री के रूप में तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी चाह रहा था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रस्ताव रखा था पर हो नहीं पाया। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार की जो धनराशि मिलती है पूर्ण क्षतिग्रस्त में 10 हजार मिलता है। आज की महँगाई में 10 हजार की नींव भी नहीं पड़ सकती है, तो हमें संशोधन करने होंगे, हमें कोई ऐसी योजना चलानी पड़ेगी जिससे कि मकान क्षतिग्रस्त हो, पूर्ण क्षतिग्रस्त हो या आंशिक क्षतिग्रस्त हो तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए भी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए था। मुझे खेद है कि नहीं है। इस प्रदेश में जहाँ प्राकृतिक आपदायें आती हैं, प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार से आपदा प्रबन्धन मद है, लेकिन जब जंगली जानवरों के द्वारा किसी को शिकार बनाया जाता है, उसको घायल किया जाता है तो वन विभाग का कुछ मुआवजा तो मिलता है लेकिन वह राशि इतनी नहीं होती है जिससे कि उस घायल का उपचार हो सके या जिसको मारा गया है उसके आँसुओं को पोंछने का प्रयास किया जा सके। कोई महिला घास काटती हुई पेड़ से गिर जाती है, चट्टान से गिर जाती है, चलते हुए बस के एक्सीडेंट होते हैं। अभी विकास नगर में दुर्घटना हुई, सतपुली में दुर्घटना हुई, रुद्रप्रयाग में दुर्घटना हुई उसमें 17 लोग मारे गये और 34 घायल हुए। अभी जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री की ओर ताकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि मृतकों को 50 हजार रुपया और घायलों को 20 हजार और कभी–कभी कोई माननीय विधायकगण या किसी ने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया तो बहुत सारी दुर्घटना में पैसा नहीं मिलता है। एक तो नीति बनानी चाहिए थी एक नीति का उल्लेख होना चाहिए कि तमाम दुर्घटनाओं में जो प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, आपदा में नहीं आती है, लेकिन इन दुर्घटनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष या आपदा कोष का गठन किया जायेगा जिससे कि ऐसे पीड़ित को लाभ पहुँचाया जायेगा। इसका भी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए था लेकिन इसका

उल्लेख नहीं हुआ। मान्यवर, सूचना का अधिकार पूरे हिन्दुस्तान में लागू है, अपने प्रदेश में भी लागू है। सूचना के अधिकार का कड़ाई से प्रयोग किया जायेगा, समय से सरकार सूचना उपलब्ध करायेगी। प्रायः यह देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना माँगी जाती है उसमें टाल मटोल की जा रही है, लापरवाही सरकार के द्वारा की जाती है। सूचना के अधिकार का कड़ाई से पालन किया जायेगा इसका उल्लेख भी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, मितव्ययिता के मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जहाँ कहा है कि हम मितव्ययिता करेंगे हम वित्तीय अनुशासन करेंगे।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने बचत प्रबन्धन अधिनियम का उल्लेख हैं। मैंने अभी सुबह भी उल्लेख किया है कि इस सरकार ने वित्तीय अनुशासन को पहले दिन से तोड़ने का प्रयास किया है। मेरे पास कोई सूचना तंत्र नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है कि 11.92 हजार लगभग 12 लाख रु0 शपथ ग्रहण समारोह में खर्च हुआ है। मान्यवर, जबकि हमारे शपथ ग्रहण समारोह में 4 लाख रु0 खर्चा होने का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वित्तीय अनुशासन की बात करने वाली यह सरकार 12 लाख रु0 जब शपथ ग्रहण समारोह में ही खर्च करती है। मान्यवर, जब कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो तब 17 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उस समय खर्च हुआ था चार लाख रु0 और जब इस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उस पर खर्च हुआ 12 लाख रु0 और शपथ ली मात्र दो लोगों ने। मान्यवर, मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा हूँ दो लोगों पर 12 लाख रु0 खर्च हो रहा है और 17 लोगों पर 4 लाख रु0 खर्च हो रहा है। (व्यवधान) "निशंक" जी काफी सुस्त लग रहे हो.... (व्यवधान) मान्यवर, वित्तीय अनुशासन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय हरक सिंह रावत जी मेरी काफी चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा। आपकी बॉडी लेंग्वेज बता रही है। मैंने तो आपको कर्णप्रयाग से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा था, परन्तु आपने कहा वहाँ से डा0 शिवानन्द नौटियाल जी लड़ रहे हैं, इसलिए उनके विरुद्ध मैं नहीं लड़ूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह रावत जी सबकी चिंता करते हैं। ये अपने साढू भाई, माननीय बंशीधर भगत और माननीय निशंक जी की चिंता भी कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यहाँ पर इस बात का उल्लेख होना चाहिए। चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार। प्रदेश की जनता बड़े विश्वास के साथ हमें चुनती है। माननीय मंत्रियों और माननीय सदस्यों को प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देने का कानून बनना चाहिए। इस बात का उल्लेख माननीय महामहिम के अभिभाषण में होना चाहिए था, जो कि नहीं है।

मान्यवर, जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करें तो वित्तीय अनुशासन हमसे शुरू होना चाहिए। हम विधायकों को और माननीय मंत्रियों को यह निश्चित होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि हर वर्ष हमारी चल-अचल सम्पत्ति कितनी है, उसका ब्यौरा सदन को दिया जाना चाहिए, विधान सभा अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। वैसे तो परम्परा भी है लेकिन उस परम्परा का ठीक से निर्वाह नहीं किया जाता है। एक कानून बनना चाहिए कि अनिवार्य रूप से माननीय विधायकगण और मंत्रीगण अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दें। इस बात का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिए था। मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी विषय खोला जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है। मान्यवर, गाँवों की सामूहिक खेती, विशेषकर फल और सब्जी की खेती के बारे में कहना चाहता हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना चुनाव घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। यदि ये हमारे अभिभाषण को पढ़ेंगे तो इन सबका उल्लेख इसमें है। एक-एक विषय चाहे कृषि विषय हो या कोई और। बहुत सारी बातें इस सम्बन्ध में बोली गयी हैं, वे सारी इसमें समाहित हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा विनम्र अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष इसको पढ़ लें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैंने इसको पढ़ लिया है।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, यहां बैठ कर जो बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और इस प्रकार टीका टिप्पणी की जा रही है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, माननीय निशंक जी का पूरा भाषण हमारी सरकार की कमियाँ निकालने में निकल गया। आप हमारी कमियाँ अपने भाषण में निकालते रहे। निश्चित रूप से हम अपने चुनाव घोषणा पत्र पर जीत कर आये हैं, इसलिए कह रहा हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है इसलिए कह रहा हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण है, जिस पर मैंने भी चर्चा की है और जिस पर चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जो चीज इसमें समाहित है। हमारा अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप जो बोलना चाहें, बोलें लेकिन जो चीज इसमें समाहित हैं, उनको नजर अन्दाज कर बोला जा रहा है।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो हमारा अधिकार है, उसका प्रयोग तो करेंगे ही। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का अध्ययन किया है और उसके बाद अपने चुनाव घोषणा–पत्र का अध्ययन किया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र का अध्ययन किया है, यू0के0डी0 के चुनाव घोषणा–पत्र का अध्ययन किया है और ब0स0पा0 के चुनाव घोषण–पत्र का भी अध्ययन किया है और सारा अध्ययन करने के बाद राज्यपाल के इस अभिभाषण में जिन–जिन बिन्दुओं का उल्लेख नहीं था, उन बिन्दुओं को यहाँ पर उठा रहा हूँ। मान्यवर, जिस तरह मूल्य समर्थन योजना घोषित की जाती है कि जो मैदान में किसान गेहूँ, चावल पैदा करता है, तो भारत सरकार हर वर्ष मूल्य समर्थन योजना घोषित करती है। ताकि किसान को उचित दाम मिल सके। उसकी रोजी–रोटी चल सके, उसके बच्चों का पालन–पोषण हो सके, इसके लिए मूल्य समर्थन योजना घोषित की जाती है।

लेकिन हमारे उत्तराखण्ड में जो पहाड़ी किसान हैं, उनकी जो खेती है, हल्दी मिर्च, कीनू, अखरोट, माल्टा, अनारदाना, जम्बू, गहत, महुआ और झंगोरा जो पहाड़ी फसलें हैं इस बात का भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में होना चाहिए था कि सरकार, राज्य सरकार क्या इन फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य घोषित करेगी? खासतौर पर जो पहाड़ी फसलें हैं, या जिन किसानों की जोत छोटी है या जिस किसान के पास मात्र 10 या 20 नाली जमीन है या फिर असिंचित जमीन है, जिस पर केवल मडुवा, झंगोरा या अदरक ही बेची जा सकती है। वह किसान अदरक कब बोयेगा, वह मडुवा कब बोयेगा, तब जब कि उसका मूल्य उसे मिलेगा। इनका समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। जहाँ किसानों ने इन फसलों को बोना ही बंद कर दिया है, वह उनको बोये उसके लिए इनका समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए, लेकिन इसका कोई उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। सिंचाई के क्षेत्र में, यह सरकार हर खेत को सींचने के लिए क्या विधिवत् कार्य योजना बनायेगी, इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा और पुरोहित शिक्षा के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। शिक्षकों की वेतन विसंगति के मामले बहुत लम्बित हैं, एक ओर राज्य के लेक्चरर हैं और दूसरे वह जो एल0टी0 से जो डायरेक्ट कमीशन से आये हैं और कुछ 45 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे से गये हैं। अशासकीय विद्यालयों में भी यही स्थिति है। इसी प्रकार से एल0टी0 में जो सी0टी0 से प्रोन्नत होकर गये हैं, इन सब शिक्षकों के वेतन विसंगतियों का निस्तारण कब तक कर लिया जायेगा, इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए थी कि 6 महीने के अन्दर हम इस विसंगति को दूर कर लेंगे। लेकिन इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया है। मान्यवर, इसी प्रकार से राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय और जवाहर लाल नेहरू नवोदय विद्यालयों में गरीब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी, इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसी प्रकार से एल0टी0 के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है तो आज थोक में, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इंटर कालेजों और हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं और विशेष रूप से एल0टी0 के अध्यापकों की कमी है, इनकी शीघ्र नियुक्ति होनी चाहिए क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और बोर्ड की परीक्षायें हो रही हैं, उसके बाद समर वैकेशन हो जायेगा और जुलाई से नया सत्र प्रारम्भ होगा। तो 3–4 ही महीने हमारे पास बचे हैं, हमें अविलम्ब ही इस पर कार्य करना है, नियुक्तियाँ करनी हैं नहीं तो बिना शिक्षकों के हमारे स्कूल कैसे चलेंगे? बिना शिक्षकों के पूरे प्रदेश में क्या वातावरण बनेगा ? एल0टी0 के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन इस बात का भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का भी मामला है, पी0टी0आई0 के शिक्षकों की नियुक्ति भी अधर में लटकी हुई है। जो विद्यालय अनुदान सूची से बाहर हैं, उनको अनुदान सूची में लिया जायेगा या नहीं, सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना होगी, इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति के नायक रहे हैं, जैसे खुशीराम जी हैं या स्वर्गीय भवानी भाई हैं या जयेन्द्र भारती जी हैं। मान्यवर, इनके नाम पर, इन समाज सेवकों के नाम पर किसी महाविद्यालय का नाम रखा जायेगा, उनको भी सम्मानित किया जायेगा। इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। आज पूरी दुनिया में पुरोहितों की माँग बढ़ी है और एक बहुत अच्छा व्यवसाय पुरोहित का है और हम इसके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की एक अच्छी योजना बना सकते हैं। इस बात का भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में होना चाहिए था। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जो पिछड़े जनजाति के क्षेत्र हैं उसमें नये हाई स्कूल और इंटर कालेज खोले जाने का भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर भी इंटर कालेज, संस्थाओं का नाम रखा जाना चाहिए। इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। जो पॉलिटेक्निक और आई0टी0आई0 में बहुत लम्बे समय से अनुदेशक काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की क्या व्यवस्था होगी, उनको परमानेंट किया जायेगा या संविदा पर लम्बे समय तक उनका शोषण होता रहेगा। इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। जो नये इंजीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होगी या कोई आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी या नहीं, इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। फिजिकल एजूकेशन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जायेगी, कोई ट्रेनिंग सेन्टर खोला जायेगा या नहीं, इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपने जो लिखित संशोधन दिये हैं उनमें मेरे ख्याल से ये कुछ है ही नहीं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 2800 उद्योग राज्य में लगे हैं, लेकिन इनमें बेरोजगार नौजवानों का शोषण हो रहा है। हमारी सरकार ने प्रयास किया था। प्रदेश में 2800 उद्योग लगे हैं। इनमें 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इस तरह का कोई कानून बनाने का उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है एस0एस0बी0 के जो स्वयं सेवक हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दें। जो आपने लिखित में दिये हैं, उसमें इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अभिभाषण भी मुश्किल से 5–7 पेज का है। इसमें पूरी सरकार के विकास की नीतियाँ हैं तो यह संक्षिप्त ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब बेरोजगारी नीति, शिक्षा नीति बनेगी तब यह सब आयेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, टीका–टिप्पणी करके आप समय बरबाद करते रहेंगे। (व्यवधान) मैं निवेदन करता हूँ 5 साल आप यही बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं किया। हमारा रोना रोएंगे तो पिछली बार तो 19 आ गये थे इस बार 19 भी नहीं आओगे। मान्यवर, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के रोजगार के लिए क्या योजना होनी चाहिए, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए क्या सरकार व्यवस्था करेगी इसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। पत्रकारों के वेतनमान, जो पत्रकार वेतन आयोग है उनकी जो संस्तुतियाँ हैं और संस्तुतियों का अनुपालन सरकार करायेगी, हर स्थिति में वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन मिले इस तरह की व्यवस्था करने का कोई इरादा है या नहीं है इसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। हर स्तर पर पत्रकारों के लिए आवासीय व्यवस्था का भी उल्लेख इसमें नहीं है। माननीय निशंक जी तो छोटे से पेपर से लेकर यहाँ तक पहुँच गये।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हरक सिंह रावत जी को छात्र राजनीति में मैं लाया हूँ, मुझे खुशी है कि ये केबिनेट में पहुँच गये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पत्रकारों के लिए कल्याणकोष का गठन होना चाहिए। इनके लिए पाँच करोड़ का कल्याण होना चाहिए। किसी के साथ दुर्घटना हो जाय, इसके लिए पाँच करोड़ का पत्रकार कल्याणकोष का गठन किया जाना चाहिए। 1977 में राजनारायण

की जनता पार्टी की सरकार आयी उनका भी यही रोना रहा वह डेढ़ साल रही, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 1980 में प्रचण्ड बहुमत से हमारी सरकार आई, अगर यही रोना रहेगा तो फिर.......... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि समय का ध्यान दें, टीका–टिप्पणी न करें। जब अनुमति मिले तब ही बोलें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुमति तो आप देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपने 12 बिन्दु रखे थे। उन पर ही बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में अधिवक्ता वर्ग के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, इससे लगता है कि यह सरकार हर वर्ग के हित का ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, यह सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रही है। मान्यवर, इस पीठ के माध्यम से इस सरकार को मेरा सुझाव है कि प्रदेश में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाय।....... (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि गम्भीरता बनाये रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में पत्रकार बन्धुओं के बारे में भी कोई बात नहीं कही गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीठ के माध्यम से चाहूँगा कि इनके लिए भी व्यवस्था की जाय। .... (व्यवधान) मैं माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को गम्भीरता के साथ नहीं लिया जा रहा है, जोकि एक अच्छा संकेत नहीं है। मान्यवर, मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि इस अभिभाषण में वैज्ञानिकों के हित के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा होता इसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाती। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस अभिभाषण में ग्राम पंचायतों में की जाने वाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, इसमें ग्राम पंचायतों में चलायी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, ग्राम पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं का भी जिक्र नहीं किया गया है। जबकि गाँव के विकास से ही जिले का विकास होगा और जिले के विकास से ही प्रदेश का विकास होगा।

मान्यवर, गाँवों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनके बारे में भी महामहिम के अभिभाषण में जिक्र होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रदेश की गरीब जनता को उपचार करने के लिए दिल्ली और चण्डीगढ़ के अस्पतालों में ले जायेगी? मान्यवर, यहाँ पर प्रदेश की गरीब जनता धन का निर्वहन स्वयं नहीं कर सकती है। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में प्रदेश के गरीब, निर्धन परिवारों को दी जाने वाली सुविधा का भी जिक्र नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश में गरीब असहाय और निर्धन परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार को कोई ठोस पहल करनी चाहिए थी, लेकिन खेद का विषय है कि इस अभिभाषण में इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, पहले विधवा, वृद्ध एवं विकलांग पेंशन रुपये 125 थी। हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर रु0 400 किया ताकि ये लोग सम्मान की जिन्दगी जी सकें। मान्यवर, जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से यह पेंशन रु0 1000 प्रति माह होनी चाहिए। इसके लिए महामहिम के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए महामहिम के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है कि बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत स्तर पर विद्यालय होना चाहिए। मान्यवर, इस अभिभाषण में मदरसों की शिक्षा की अनदेखी की गयी। मदरसों में शिक्षा के लिए सरकार का क्या योगदान होगा, उन्हें कम्प्यूटर शिक्षा दी जायेगी या नहीं दी जायेगी। उनके विकास के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ? क्योंकि उत्तराखण्ड में एक बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यक भाईयों की है उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, अंतिम बिन्दु जिस मुद्दे पर हमारे प्रतिपक्ष ने चुनाव लड़ा था वह है महँगाई का मुद्दा। इन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार थी तो आटा 9 रु0 किलो था ओर अब आटा 15 रु0 किलो है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज से छः साल पहले जहाँ–जहाँ इनकी सरकारें थीं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आलू 20 रु0 किलो, टमाटर 40 रु0 किलो, प्याज 80 रु0 किलो और नमक भी महँगा बिक रहा था। सरसों का तेल इनकी सरकार में 150 रु0 में बिक रहा था।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उन सारी बातों का उल्लेख इस अभिभाषण में है। अभी ये श्री बेहड़ जी के पीछे पड़े थे और अब बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निवेदन किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठ गए हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इतना बड़ा झूठ तो न तो बोलें कि सरसों का तेल 150 रु0 किलो था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्याज 80 रुपये किलो बिका और आज भी पूरे उत्तराखण्ड की मैंने जन सभाओं में माता–बहनों से कहा कि माता–बहनों जब आप 80 रुपये किलो प्याज खरीद रही थीं तो आप भूल गई थीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात में, जबकि हमारे यहां 295 रुपये का गैस का सिलेण्डर मिलता है और मध्य प्रदेश में साढ़े चार सौ रुपये का प्रति सिलेण्डर मिलता है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जिस समय आज से 6 साल पहले हमारी सरकार यहां पर थी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बीच में नहीं बोलते हैं तो इस तरह से बीच में न बोला जाए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जब उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब गैस का रेट बतायें और कांग्रेस की सरकार में गैस का रेट बतायें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार आयेगी तो सस्ता गेहूं, सस्ता चावल उपलब्ध करायेंगे, अब आज इनकी सरकार है, कितने दिन हुये इस सरकार को तो 7 दिन हुये हैं और अब इनके सुर बदलने लगे हैं। जो चीज चुनाव में कह रहे थे कि प्रदेश के हाथ में मूल्य व्यवस्था मंहगाई को रोकना नहीं है और हम कह रहे थे कि कोई सरकार हो चाहे माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार हो, चाहे माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार रहे। कोई सरकार मंहगाई को नहीं रोक सकती है। अगर हमारे मित्रों ने कोई ऐसी तकनीक विज्ञान की घोषणा कर दी है कि वाहन डीजल के बजाय, पेट्रोल के बजाय पानी से चलने लगे तो जरूर महंगाई कम हो सकती है, क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में डीजल प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, अगर विदेशों से डीजल लायेंगे तो डीजल मंहगा होगा और भाड़ा मंहगा होगा और भाड़ा मंहगा होगा तो मंहगाई होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं–चावल सस्ता करेंगे और आज 7 दिन हो गये लेकिन 7 दिन में पूरे प्रदेश की जनता आज इस सदन के माध्यम से जानना चाहती है, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पंक्ति का उल्लेख करके कि मंहगाई पर नियंत्रण करेंगे यह मंहगाई को रोकने का संकल्प नहीं लगता है। आज गरीबों के यहां चूल्हें नहीं जल रहे हैं। यह तो वही बात कहना चाहते हैं, सरकार के लोग वही बात कहना चाहते हैं कि जब कोई दुर्घटना होगी, कोई मर जायेगा और सूचना मिलेगी तो राहत पहुंचायेंगे। अभी 7 दिन हुये और 3 महीने में महंगाई को कम करेंगे। आप सरकार में आये थे पहले काम होना चाहिए था। गरीबों की चिन्ता होती, माता–बहनों की चिन्ता होती, जिसका चूल्हा जलाना है, उनके बेटों की चिन्ता होती।

मान्यवर, अगर आपको उसकी चिंता होती तो आप पहले दिन से यह कार्य करते। विधायकों को ग्रेट वैल्यू से उठाने का कार्य नहीं करते। आप तो इस बात के लिए चिंतित रहे, सरकार कैसे बने। आप सरकार बनाने के ऑपरेशन में व्यस्त रहे। प्रदेश के गरीबों की चिंता नहीं की, आपको इस बात की चिंता थी कैसे मंत्री बनेंगे। मान्यवर, मैं सिर्फ यह निवेदन सत्तापक्ष के लोगों से करना चाहता हूं कि इनको लोगों की चिंता करनी चाहिए।

सरकार का जो पहला कार्य होता है, वह कानून व्यवस्था को बनाये रखने का है। आपने कहा था हमारी सरकार पारदर्शिता अपनायेगी, सुशासन देगी, मितव्ययिता अपनायेगी। मान्यवर, यह सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। मान्यवर, लच्छेदार भाषणों से किसी गरीब का पेट नहीं भरता है। कल हमने नियमों के तहत ही घटनाओं का उल्लेख किया था। आगे भी नियमों के तहत ही मामले उठायेंगे मान्यवर, चाहे श्रीनगर की घटना हो, विकास नगर की बस दुर्घटना हो, रुद्रप्रयाग की बस दुर्घटना हो। मान्यवर, यह सरकार ऐसी अशुभ घड़ी में बनी है, तब से घटनाएं ही घटित हो रही हैं। मान्यवर, जब 08 तारीख को यह सरकार शपथ ले रही थी तो सतपुली के पास बस दुर्घटना हुई व रुद्रप्रयाग में बस दुर्घटना हुई। यह सरकार दुर्घटनाओं के नाम से भी जानी जायेगी। इस सरकार को बने अभी 07 दिन हुए हैं और इतने कम समय में इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी और तो और इनकी सरकार आते ही ओले गिर गए हैं। मान्यवर, एक मुहावरा भी प्रचलित है–"सिर मुढ़ाते ही ओले गिरना".....................(व्यवधान) मान्यवर, यदि यह सरकार ओले गिरने को शुद्धिकरण मानती है तो उन लोगों का क्या होगा जिनकी फसल नष्ट हुई है, लीची के बाग नष्ट हुए हैं, आम के बाग नष्ट हुए हैं, उनका क्या हाल होगा, उनके दिल से पूछें और यह लोग कह रहे हैं यह शुद्धिकरण हुआ है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपके नेता प्रतिपक्ष बनते ही ओला वृष्टि हुई है। ऐसा माननीय सदस्य कह रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपकी सरकार अशुभ घड़ी में आयी है। एक कहावत है "जैसी करनी वैसी भरनी"। मान्यवर, मैं तो हिस्ट्री का छात्र रहा हूं।.......(हंसी) मान्यवर, मिलेट्री साईस में आधा भाग इतिहास का भी है। मान्यवर, जो एपिक पीरियड है जिसको महाभारत और रामायण कहते हैं यदि ऋगवेद का अध्ययन करेंगे तो राजा महाराजा यज्ञ करते थे। मान्यवर, इनकी सरकार जब से आयी "जैसे राजा वैसी प्रजा" का हाल हो गया है। सरकार की परिणितियों से जनता को जूझना पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं। रामायण का एक छोटा सा संस्करण सुना कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जब भगवान राम चित्रकूट में बैठे थे।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इसमें कोई गड़बड़ मत कर देना।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर बीच में बोलेंगे तो जरूर गड़बड़ होगी। भगत जी मंत्री बन कर ट्यूनिंग गड़बड़ करेंगे तो 5 साल अभी रहना है। मान्यवर, जब भगवान राम चित्रकूट में बैठे थे तो सीता माता का अपहरण हो गया। भगवान राम ने जंगल–जंगल वानरों और लक्ष्मण के साथ सीता माता को ढूंढ़ा। मगर माता सीता नहीं मिलीं। भगवान राम व्याकुल थे तो हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों का वन्दन करते हुए कहा कि हमारी माता सीता का हरण रावण ने किया है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, फिर गड़बड़ कर दी। यह हनुमान जी ने नहीं कहा था।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, तब दशरथ थे ही नहीं। वह तो सिधार गये। उनको इसकी जानकारी कैसे है?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भगवान राम हनुमान और अंगद को लेकर लंका की ओर बढ़े। आगे जाकर देखते हैं कि बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र को पार करके ही लंका पहुंचा जा सकता था। लंका जाए बिना माता सीता को वापस नहीं लाया जा सकता। भगवान राम व्याकुल हैं कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। देखते ही देखते पशु–पक्षियों ने, वानरों ने समुद्र में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। दूर एक गिलहरी बैठी है, वह देख रही है कि पशु–पक्षी काम कर रहे हैं और सोचती है, तू क्यों चुप बैठी है? वह मिट्टी में लिपटती है और समुद्र में डुबकी मारती है। फिर मिट्टी में लिपटती है और समुद्र में डुबकी मारती है। जब भगवान राम ने यह देखा तो गिलहरी के पास गये और उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? गिलहरी ने भगवान राम के चरणों में नमन करते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि समुद्र में चुटकी भर मिट्टी डालने से समुद्र पर पुल का निर्माण नहीं हो सकता लेकिन असत्य पर सत्य की, साधु–सन्तों की इस जीत के अभियान में एक तुच्छ गिलहरी को अपना योगदान देने से मत रोकिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यही इस बार जनता ने कहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं चन्द मंत्रियों और विधायकों के बल पर इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। इस प्रदेश का विकास करना है तो 85 लाख जनता ने इस प्रदेश को बनाने के लिए

बलिदान किया था। इस महान जनता के चरणों में नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 85 लाख लोगों ने उस गिलहरी की तरह इस उत्तराखण्ड राज्य को बनाने में योगदान दिया है। केवल सरकार में आ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। कल सरकार में हम थे, आज आप सरकार में हैं। चन्द विधायकों और मंत्रियों के बलबूते पर इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए मैं पूरे प्रदेश की महान जनता की ओर से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान चर्चा के अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं, मैं उन पर अडिग हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी। (व्यवधान)

मान्यवर, यह लोग तो कहते थे कि राम लला हम आयेंगे, मन्दिर वहीं बनायेंगे तो फिर.......।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, तब माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ थे और जब भी फोटाग्राफर आते थे तो यह सबसे आगे खड़े हो जाते थे।

(हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो वह लोग हैं जो भगवान के साथ भी धोखा करते हैं और यह जनता को भी धोखा देकर आये हैं और यह अभिभाषण भी धोखा ही है और [XXX] है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे यह बता दें कि वहां पर मन्दिर है या नहीं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप पीठ पर आसीन हैं, आपकी इस जिज्ञासा का उत्तर मैं आपके कक्ष में दे दूंगा।

श्रीमन् यह अभिभाषण [XXX] का पुलिंदा है...........।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, एक असंसदीय शब्द का यहां पर बहुत प्रयोग हो रहा है, कृपया उसे कार्यवाही से हटा दे।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह महामहिम श्री राज्यपाल जी का यह अभिभाषण पूर्ण असत्य है और सत्य से परे है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा सच बोलते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो अभिभाषण यहां पर प्रस्तुत हुआ मैं उससे अपने आप को असहमत करता हूं और पीठ के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं उन पर सरकार जरूर गंभीरता से विचार करेगी और अंत में मैं, अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

जहां–जहां भी 'झूठ' शब्द आया है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

माननीय श्री रंजीत सिंह रावत जी, चूंकि आपके संशोधन नहीं आये हैं तो आपके भाषण के बाद आपके संशोधन सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन रखे गये हैं, उन पर बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर नई सरकार को अधिकार है, सपने बुनने का और प्रदेश की जनता को नये सपने दिखाने का।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में विधायक निधि से मिलन केन्द्र 1–सेरा भरदार, 2–सौंराकल भरदार 3–नौली भरदार 4–सेम बाड़मा 5–भूनालगांव पूर्वी बांगर के निर्माण के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी की सूचना प्राप्त हुई है। जिसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्रवाई 05 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

देहरादून :
दिनांक 14 मार्च, 2007

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 विधान सभा / 636–30–1–2008–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।